شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (سورة البقرة 185)

रमज़ान
अल्लाह का एक उपहार

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

Dr. Maulana Mohammad Najeeb Qasmi

www.najeebqasmi.com

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

रमज़ान

अल्लाह का एक उपहार

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

www.najeebqasmi.com

रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार

Ramadan - A Gift from the Creator

By

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

पहला हिंदी संस्करण: मार्च 2016

Address for Gratis Distribution मुफ़्त मिलने का पताः
Dr. Mohammad Mujeeb, Deepa Sarai, Sambhal, UP (2044302) India
डा॰ मोहम्मद मुजीब, दीपा सराय, सभंल, यूपी, इण्डिया (244302)

विषय-सूची

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،وَالصَّلاة وَالسَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيم وَعَلیٰ آله وَاَصْحَابه اَجْمَعِيْن۔

प्रस्तावना

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ आखरी नबी हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अंतरराष्ट्रीय भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बिला कुरैश या अरबों के लिए नहीं बल्कि पुरी दुनिया के लिए, इसी तरह सिर्फ उस ज़माना के लिए नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बल्कि क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्नात के लिए नबी व रसूल बना कर भेजे गए। कुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा खास कर उलमा-ए-दीन की ज़िम्मेदारी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीने इस्लाम की हिफाज़त करके कुरान व हदीस के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऐं। चूनांचे उलमा-ए-कराम ने अपने अपने ज़माने में मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। उलमा-ए-कराम की कुरान व हदीस की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता है और इंशा अल्लाह उलमा-ए-कराम की इल्मी खिदमात से कल क़ियामत तक इस्तिफादा किया जाता रहेगा। अब नई टेक्नोलॉजी (वेबसाइट, वाटस ऐप, मोबाइल ऐप, फेसबुक और यूटूयब वगैरह) को दीने इस्लाम की खिदमात के लिए उलमा-ए-कराम ने इस्तेमाल करना शुरू तो कर दिया है मगर इसमें मज़ीद काम करने की सख्त ज़रूरत है।

अलहमदु लिल्लाह बाज़ दोस्तों की टेक्निकल समर्थन और बाज़ मुहसिनीन के माली योगदान से हमने भी दीने इस्लाम की खिदमात के लिए नई टेक्नोलॉजी के मैदान में घोड़े दौड़ा दिए हैं ताकि इस

अंतरिक्ष (जगह) को एसी ताक़तें प्राप्त न कर दें जो इस्लाम और मुस्लमानों के लिए नुक़सानदेह साबित हों। चूनांचे 2013 में वेबसाइट (www.najeebqasmi.com) लांच की गई, 2015 में तीन ज़बानों में दुनिया की पहली मोबाइल ऐप (**Deen-e-Islam**) और फिर दोस्तों के तक़ाजा पर हाजियों के लिए तीन ज़बानों में ख़ुसूसी ऐप (**Hajj-e-Mabroor**) लांच की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से उलमा ने दोनों ऐपस के लिए प्रशंसापत्र लिख कर अवाम व ख्वास से दोनों ऐपस से इस्तिफादा करने की दरखास्त की। यह प्रशंसापत्र दोनों ऐपस का हिस्सा हैं। ज़माने की रफ्तार से चलते हुए क़ुरान व हदीस की रौशनी में मुख़्तसर दीनी पैगाम खुबसूरत इमेज की शकल में मुख्तलिफ सूत्रों से हज़ारों दोस्तों को पहुंच रहे हैं जो अवाम व ख्वास में काफी मक़बूलियत हासिल किए हुए हैं।

इन दोनों ऐपस (दीने इस्लाम और हज्जे मब्रूर) को तीन ज़बानों में लांच करने के लिये मेरे तक़रीबन 200 मज़ामीन का अंग्रेज़ी और हिन्दी में तर्जुमा करवाया गया। तर्जुमा के साथ ज़बान के माहिरीन से एडिटिंग भी कराई गई। हिन्दी के तर्जुमा में इस बात का ख्याल रखा गया कि तर्जुमा आसान ज़बान में हो ताकि हर आम व खास के लिए इस्तिफादा करना आसान हो।

अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी तौफीक़ से अब तमाम मज़ामीन के अंग्रेज़ी और हिन्दी अनुवाद को विषय के एतेबार से किताबी शकल में तरतीब दे दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम किया जा सके, जिसके ज़रिया 14 किताबें अंग्रेज़ी में और 14 किताबें हिन्दी में तय्यार हो गई हैं। उर्दू में प्रकाशित 7 किताबों के अलावा 10 नई किताबें छपने के लिए तय्यार कर दी गई हैं।

इस किताब (रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार) का पहला एडिशन 2013 ई॰ में उर्दू में प्रकाशित हुआ था। अब यह किताब रमज़ान और रोज़े से मुतअल्लिक़ चंद मज़ामीन के इज़ाफा के साथ दोबारा प्रकाशित की जा रही है। पहले एडिशन में ज़कात से मुतअल्लिक़ चंद मज़ामीन भी किताब का हिस्सा थे, लेकिन अब चूंकि ज़कात से मुतअल्लिक़ एक मुस्तक़िल किताब (ज़कात व सदक़ात के मसायल) भी प्रकाशित की जा रही है, लिहाज़ा किताब के दुसरे एडिशन से ज़कात के मसायल को खत्म कर दिया गया है।

अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि इन सारी खिदमात को क़ुबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़ कर मुझे, ऐपस की तायीद में लेटर लिखने वाले उलमा-ए-कराम, टेक्निकल सपोर्ट करने वाले अहबाब, माली योगदान पेश करने वाले मुहसिनीन, मुतर्जिमीन, एडिटिंग करने वाले हज़रात खास कर जनाब अदनान महमूद उसमानी साहब, डिज़ाइनर और किसी भी क़िसम से तआवुन पेश करने वाले हज़रात को दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता फरमाये। आखिर में दारूल उलूम देवबन्द के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब, मौलाना मोहम्मद असरारूल हक़ क़ासमी साहब (मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट) और प्रोफेसर अखतरूल वासे साहब (लेसानियात के कमिशनर, मंत्रालय अक़लियती बहबूद) का शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद प्रस्तावना लिखा। डॉक्टर शफाअतुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूं जिनकी मेहनतों से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हूआ।

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली (रियाज़)

14 मार्च, 2016 ई॰

(Mufti) Abul Qasim Nomani
Mohtamim (VC) Darul Uloom Deoband

مفتی ابوالقاسم نعمانی
مہتمم دارالعلوم دیوبند، الہند

PIN- 247554 (U.P.) INDIA Tel: 01336-222429, Fax: 01336-222768 E-mail: info@darululoom-deoband.com

Ref. No..........   Date:..... ....

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

جناب مولانا محمد نجیب قاسمی سنبھلی مقیم ریاض (سعودی عرب) نے دینی معلومات اور شرعی احکام کوزیادہ سے زیادہ اہل ایمان تک پہونچانے کے لئے جدید وسائل کا استعمال شروع کرکے، دینی کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم فرمائی ہے۔

چنانچہ سعودی عرب سے شائع ہونے والے اردو اخبار (اردو نیوز) کے دینی کالم (روشنی) میں مختلف عنوانات پر ان کے مضامین مسلسل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعہ بھی وہ اپنا دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچا رہے ہیں۔
ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ زمانہ کی ضرورت کے تحت مولانا نے اپنے اہم اور منتخب مضامین کے ہندی اور انگریزی میں ترجمے کرادیے ہیں، جو الیکٹرونک بک کی شکل میں جلد ہی لانچ ہونے والے ہیں۔

اور امید ہے کہ مستقبل میں یہ پرنٹ بک کی شکل میں بھی دستیاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ مولانا قاسمی کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مزید علمی افادات کی توفیق بخشے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۳/۶/۱۴۳۷ھ

مولانا محمد اسرار الحق قاسمی
Mohammad Asrarul Haque
Member of Parliament
(Lok Sabha)
Ref. No. [illegible]

15, South Avenue, New Delhi 110011
Ph.: 011-23795046 Telefax: 011-23795314
E-mail: [illegible]

Date: 19/03/2016

تاثرات

عصر حاضر میں دینی تعلیمات کو جدید آلات و وسائل کے ذریعہ عوام الناس تک پہنچانا وقت کا اہم تقاضہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بعض دینی، معاشرتی اور اصلاحی فکر رکھنے والے حضرات نے اس سمت میں کام کرنا شروع کردیا ہے، جس کے سبب آج انٹرنیٹ پر دین کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ اگرچہ اس میدان میں زیادہ تر مغربی ممالک کے مسلمان سرگرم ہیں لیکن اب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرقی ممالک کے علماء و داعیان اسلام بھی اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں جن میں عزیزم ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی صاحب کا نام سرفہرست ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر بہت سا دینی مواد ڈال چکے ہیں، باضابطہ طور پر ایک اسلامی و اصلاحی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی کا قلم رواں دواں ہے۔ وہ اب تک مختلف اہم موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کے مضامین پوری دنیا میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ جدید ٹکنالوجی سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے اپنے مضامین اور کتابوں کو بہت جلد دنیا بھر میں ایسے ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جن تک رسائی آسان کام نہیں ہے۔ موصوف کی شخصیت علوم دینی کے ساتھ علوم عصری سے بھی آراستہ ہے۔ وہ ایک طرف عالم دین ہیں، تو دوسری طرف ڈاکٹر و محقق بھی اور کئی زبانوں میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ فعال و متحرک نوجوان ہیں۔ جس طرح وہ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی میں دینی و اصلاحی مضامین اور کتابیں لکھ کر عوام کے سامنے لا رہے ہیں، وہ اس کے لئے تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کی شب و روز کی مصروفیات و جد و جہد کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی مستعدی کے ساتھ مذکورہ تمام کاموں کو جاری رکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالی ان سے مزید دینی، اصلاحی اور علمی کام لے اور وہ اکابرین کے نقش قدم پر گامزن رہیں۔ آمین!

مخلص

(مولانا) محمد اسرار الحق قاسمی
ایم. پی. لوک-سبھا (انڈیا)
وصدر آل انڈیا تعلیمی وملی فاؤنڈیشن، نئی دہلی
Email:asrarulhaqqasmi@gmail.com

प्रो. अख़्तरूल वासे
आयुक्त
PROF. AKHTARUL WASEY
Commissioner

सत्यमेव जयते

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Commissioner for Linguistic Minorities in India
Ministry of Minority Affairs
Government of India

تقریظ

اطلاعاتی انقلاب برپا ہونے کے بعد جس طرح ہر قسم کی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعہ آنکھوں کی دو پتلیوں میں سما گئی ہیں۔ اس نے ''گاگر میں ساگر'' اور ''کوزے میں دریا'' کے تخیلاتی تصورات کو نہ صرف حقیقت بنا دیا ہے بلکہ ان پر ہمارا انحصار روز بروز ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ گوگل (Google) ہو یا وکی پیڈیا (Wikipaedia) یا پھر دوسری سوشل سائٹس انہوں نے ترسیل وابلاغ کو وہ ہمہ جہت رخ اور رفتار کی تیزی عطا کی ہے کہ فراق وفصل کے تمام تصورات بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس اطلاعاتی انقلاب نے ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ اطلاعات رسائی اور خبروں تک رسائی میں حقائق سے گریز یا ان کو مسخ کرنے کا چلن بھی اس طرح شامل ہو گیا ہے اور اس سچائی کو اسلام اور مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ دوسرا سنگین مسئلہ یہ ہے کہ باخبر ہونے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اب مطالعہ کی عادت لوگوں میں خاصی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ موبائل کے روپ میں دنیا ان کی مٹھی میں سمائی رہتی ہے اور وہ سب کچھ اسی کے ذریعہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج اور مسئلے کے حل کے لئے ضروری ہے کہ ہم غلط بیانیوں اور حقائق کو دنیا پر آشکار کرنے کے لئے اور اپنے ہم مذہبوں خاص طور پر نئی نسل کو صحیح معلومات فراہم کرنے، انہیں رہنمائی دینے اور ان کے شعور میں بالیدگی اور پختگی لانے کے لئے اس اطلاعاتی انقلاب کے جتنے بھی وسائل وذرائع ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں۔

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ایک موقر اور معتبر عالم حضرت دین مولانا محمد نجیب قاسمی نے جو از ہر ہند دار العلوم دیوبند کے قابل فخر ابنائے قدیم میں سے ہیں اور عرصہ سے مملکت سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں برسر کار ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو بخوبی سمجھا اور دنیا کی پہلی اسلامی موبائل ایپ ''دین اسلام'' اور ''حج مبرور'' اردو، انگریزی اور ہندی میں تیار کیا تھا اور اب وقت گزرنے کے ساتھ نئے سوالات کی روشنی اور علمی ضرورتوں کے تحت نئے مضامین اور نئے بیانات شامل کر کے ایک دفعہ پھر نئے انداز کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مزید برآں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر دین کے حوالہ سے دو سو مضامین کے الیکٹرونک ایڈیشن کو بھی منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ مجھے وقتاً فوقتاً محترم مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب کے مقالے، الیکٹرانک مضامین اور علمی فتوحات سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملتا رہا ہے۔ مجھے ان کے متوازن، اعتدال پسند اور عالمانہ انداز تحریر نے ہمیشہ متاثر کیا۔ میں مولانا نجیب قاسمی کی خدمت میں ہدیۂ تبریک وتشکر پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی عمر میں درازی، علم میں اضافہ اور قلم میں مزید پختگی عطا فرمائے۔ کیونکہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

(پروفیسر اختر الواسع)
سابق ڈائریکٹر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز
سابق صدر: شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
سابق وائس چیرمین: اردو اکادمی، دہلی

14/11, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
14/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011
Tel: (O) 011-23072651-52 Email: wasey27@gmail.com Website: www.nclm.nic.in

रोज़े के चंद अहम बुनियादी मक़ासिद

रोज़ा का पहला मक़सद: तक़्वा

अल्लाह तआला क़ुरान करीम में इरशाद फरमाता है “**ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़ा फर्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज़ किया गया था ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ।**”

क़ुरान करीम के इस एलान के मुताबिक़ रोज़ा की फर्ज़ियत का बुनियादी मक़सद लोगों की ज़िन्दगी में तक़वा पैदा करना है। तक़्वा असल में अल्लाह तआला से खौफ व रजा (उम्मीद) के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक़ ममनूआत (जिस काम को करने से मना किया गया है) से बचने और अवामिर (जिस काम को करने का हुकुम दिया गया है) पर अमल करने का नाम है। रोज़ा से ख्वाहिशात को क़ाबू में रखने का मल्का पैदा होता है और यही तक़वा यानी अल्लाह के खौफ की बुनियाद है। रोज़ा के ज़रिया हम इबादात, मामलात, अख्लाक़ियात और मुआशरत गरज़ ये कि ज़िन्दगी के हर शोबे में अपने खालिक़, मालिक व राजिक़े कायनात के हुकुम के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने वाले बन सकते हैं। अगर हम रोज़ा के इस अहम मक़सद को समझें और जो कुवत और ताक़त रोज़ा देता है उसको लेने के लिए तैयार हों और रोज़ा की मदद से अपने अंदर खौफे खुदा और इताअते अमर की सिफत को नशू व नुमा देने की कोशिश करें तो रमज़ान के महीना हम में इतना तक़वा पैदा कर सकता है कि सिर्फ रमज़ान ही में नहीं बल्कि उसके बाद भी गयारह महीनों में ज़िन्दगी की शाहराह पर खारदार झाड़ियों से अपने दामन को बचाते हुए चल सकें । अल्लाह तआला हम सबको

रोज़े के इस अहम मक़सद को अपनी ज़िन्दगी में लाने वाला बनाए, आमीन।

रोज़ा का दूसरा मक़सद: गुनाहों से मगफिरत

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है कि "जिसने ईमान के साथ सवाब की नियत से यानी खालिस अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए रोज़ा रखा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा दिए जाते हैं।"
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है कि "जिसने ईमान के साथ सवाब की नियत से यानी रिया, शोहरत और दिखावे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी के लिए रात में इबादत के लिए खड़ा हुआ यानी नमाज़े तरावीह और तहज्जुद पढ़ी तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।"
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है कि "जो शख्स शबेक़दर में ईमान के साथ और सवाब की नियत से इबादत के लिए खड़ा हुआ यानी नमाज़े तरावीह और तहज्जुद पढ़ी, क़ुरान की तिलावत की और अल्लाह का ज़िक्र किया तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।"
एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम से इरशाद फरमाया कि मिम्बर के क़रीब हो जाओ, सहाबा क़रीब हो गए। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिम्बर के पहले दरजे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे दरजे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब तीसरे दरजे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हो कर नीचे उतरे तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि हमने आज आप से मिम्बर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस वक़्त हज़रत जिबरइल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दरजे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा हलाक हो वह शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर भी उसकी मगफिरत न हो सकी, मैंने कहा आमीन। फिर जब दूसरे दरजे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वह शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्रे मुबारक हो और वह दरूद न भेजे, मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दरजे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वह शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और वह उसको जन्नत में दाखिल न करा सके, मैंने कहा आमीन। (बुखारी, सही इब्ने हिब्बान, मुसनद हाकिम, तिर्मिज़ी, बैहक़ी) गरज़ ये कि किस क़दर फिक्र और अफसोस की बात है कि मुबारक महीने के क़ीमती औक़ात भी गफलत और मआसी (गुनाह) में गुज़ार दिए जाएं जिस से पिछले गुनाहों की मगफिरत भी न हो सकी। लिहाज़ा हमें रमज़ान के एक एक लम्हे की हिफाज़त करनी चाहिए, ताकि ऐसा न हो कि हम हज़रत जिबरइल अलैहिस्सलाम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के तिहत दाखिल हो जाएं।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़ा के समरात में भूका रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता और बहुत से शब बेदार ऐसे

हैं कि उनको रात के जागने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, यानी रोज़ा रखने के बावजूद दूसरों की गीबत करते रहते हैं या गुनाहों से नहीं बचते या हराम माल से इफतार करते हैं, लिहाज़ा हमें हर हर अमले खैर की क़बूलियत की फिक्र करनी चाहिए।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों की मगफिरत कर दी जातीहै। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया कि क्या यह शबे मगफिरत शबे क़दर ही तो नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं बल्कि दस्तूर यह है कि मज़दूर का काम खतम होते ही उसे मज़दूरी दे दी जाती है। मालूम हुआ कि हमें ईद की रात में भी अमाले सालिहा का सिलसिला जारी रखना चाहिए, ताकि रमज़ान में कीगई इबादतों का भरपूर अज्र व सवाब मिल सके।

रोज़ा का तीसरा मसकद: क़ुर्बे इलाही

रोज़ादार को अल्लाह तआला का खास क़ुर्ब हासिल होता है। रोज़ा के मुतअल्लिक़ हदीसे कुदसी में अल्लाह तआला का इरशाद है कि मैं खुद ही रोज़ा का बदला हूं। नीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तीन शख्स की दुआ बेकार नहीं होती है, उन तीन शख्सों में से एक रोज़ादार की इफतार के वक़्त की दुआ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुद अल्लाह तआला और उसके फरिशते सेहरी खाने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं।

रोज़ा का चौथा मक़सद: अल्ला के नज़दीक बड़े सवाब का हुसूल

इस बरकतों के महीने में हर नेक अमल का अज्र व सवाब बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह तआला ने हर अमले खैर का दुनिया में ही अज्र बता दिया कि किस अमल पर किया मिलेगा मगर रोज़े के मुतअल्लिक़ हदीसे कुदसी में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है "रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा।" बल्कि एक रिवायत के अल्फाज़ यह हैं कि मैं खुद ही रोज़े का बदला हूं। अल्लाह अल्लाह कैसा अजीमुश्शान अमल है कि इसका बदला सातों आसमानों व जमीनों को पैदा करने वाला खुद अता करेगा या वह खुद उसका बदला है। रोज़ा में आम तौर पर रिया का पहलू दूसरे आमाल के मुक़ाबले में कम होता है, इसी लिए अल्लाह तआला ने रोज़ा को अपनी तरफ मंसूब करके फरमाया "रोज़ा मेरे लिए है।"

लिहाज़ा हमें रमज़ान के महीने की क़दर करनी चाहिए कि दिन में रोज़ा रखें, पांचों वक़्त की नमाज़ पाबन्दी से अदा करें, क्यूंकि ईमान के बाद सबसे ज़्यादा ताकीद क़ुरान व हदीस में नमाज़ के मुतअल्लिक़ आई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी नमाज़ के एहतेमाम की ही है। कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज़ ही के मुतअल्लिक़ होगा। नमाज़े तरावीह पढ़ें और अगर मौक़ा मिल जाए तो चंद रिकात रात के आखिरी हिस्सा में भी अदा कर लें। फर्ज़ नमाजों के अलावा नमाज़े तहज्जुद का ज़िक्र अल्लाह तआला ने अपने क़ुरान करीम में बहुत सी जगह फरमाया है।

रमज़ान के आखिरी अशरे में नमाज़े तहज्जुद पढ़ने का एहतेमाम करें, क्यूंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि लैलतुल क़दर रमज़ान के आखिरी अशरा में पाई जाती है जिसमें इबादत करने को अल्लाह तआला ने हज़ार महीनों यानी पूरी ज़िन्दगी की इबादत से ज़्यादा अफज़ल क़रार दिया है। इसी अहम रात की इबादत को हासिल करने के लिए 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े की फर्ज़ियत के बाद से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आखिरी अशरे का एतेकाफ फरमाया करते थे। अल्लाह तआला हम सबको इस मुबारक महीने की क़दर करने वाला बनाए और शबे क़दर में इबादत करने की तौफीक़ अता फरमाए।

जिस तरह हम रोज़े में खाने पीने और जिन्सी शहवत के कामों से अल्लाह तआला के हुकुम की वजह से रुके रहते हैं इसी तरह हमारी पूरी ज़िन्दगी अल्लाह तआला के अहकाम के मुताबिक़ होनी चाहिए, हमारी रोज़ी रोटी और हमारा लिबास हलाल हो, हमारी ज़िन्दगी का तरीक़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम वाला हो ताकि हमारी रूह हमारे जिस्म से इस हाल मेंजुदा हो कि हमें, हमारे वालिदैन और सारे इंसान व जिन्नात का पैदा करने वाला हमसे राजी व खुश हो। दारे फानी से दारे बक़ा की तरफ कूच के वक़्त अगर हमारा मौला हमसे राज़ी व खुश है तो इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा की कामयाबी हमारे लिए मुक़द्दर होगी कि इसके बाद कभी भी नाकामी नहीं है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि पहले अशरा के रोज़े व क़याम और तमाम आमाले सालेहा को क़बूल फरमाए, नीज़ दूसरे और तीसरे अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करने की तौफीक़ अता फरमाए। रमज़ान के बाद भी मुंकरात से बच कर अहकामे खुदावंदी के मुताबिक़ यह फानी व आरज़ी ज़िन्दगी गुज़ारने वाला बनाए, आमीन।

रोज़ा क्या है?

रोज़ा को अरबी में सौम कहते हैं, इसके लफ्ज़ी मानी किसी चीज़ से रुक जाना और उसको छोड़ देना है। शरई इस्तिलाह में सौम (रोज़ा) से मुराद यह है कि आदमी अल्लाह तआला की इबादत की नियत से सुबहे सादिक़ से गुरूबे आफताब तक खाने पीने और जिन्सी ज़रूरत पूरी करने से रुका रहे।

रोज़ा की क़िस्में

रोज़ा की दर्जे ज़ैल क़िस्में हैं

1) फर्ज़े मुअय्यन, साल भर में एक महीना यानी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फर्ज़े मुअय्यन हैं। इस का इंकार करने वाला काफिर है और बेगैर उज़्र के छोड़ने वाला फासिक़ और सख्त गुनहगार है।

2) फर्ज़े गैर मुअय्यन, अगर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े किसी उज़्र या महज़ गफलत से रह जाएं तो उनकी कज़ा रखना भी फर्ज़ है। कज़ा के यह रोज़े फर्ज़े गैर मुअय्यन हैं, यानी जब भी मौक़ा हो रख लें, बेहतर यही है कि जल्द से जल्द रख लें।

3) वाजिब मुअय्यन, किसी खास दिन या खास तारीखों के रोज़े रखने की मन्नत मानने से उस दिन या उन तारीखों के रोज़े वाजिब मुअय्यन हो जाते हैं कि उनका उसी दिन या उन्हीं तारीखों पर रखना वाजिब है।

4) वाजिब गैर मुअय्यन, कफ्फारा के रोज़े और गैर मुअय्यन नज़र के रोज़े वाजिब गैर मुअय्यन हैं, मसलन किसी शख्स ने कहा कि मेरा फलां काम हो गया तो मैं तीन रोज़े रखूंगा, तो इस काम के

होने पर उसे तीन रोज़े रखने होंगे, लेकिन वह यह तीन रोज़े कभी भी रख सकता है।

5) मसनून या नफली रोज़े, जिन दिनों के रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं या जिन के रोज़े रखने की तरगीब दी है उन्हें समनून या नफली रोज़े कहा जाता है और उनके रखने का बड़ा अज्र व सवाब है।

मसनून या नफली रोज़े हस्बे ज़ैल हैं

मुहर्रम और आशूर के रोज़े - यानी मुहर्रम की नवीं और दसवीं, या दसवीं और ग्यारहवीं तारीख के रोज़े, या सिर्फ दसवीं तारीख क रोज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमज़ान के महीने के बाद अफज़ल तरीन रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रमुल हराम के महीने के रोज़े हैं। (मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे अल्लाह तआला की रहमत से उम्मीद है कि जो शख्स आशूरा के दिन रोज़ा रखेगा तो यह उसके लिए पिछले एक साल के गुनाह का कफ्फारा हो जाएगा। (मुस्लिम) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को सामने रख कर सहाबा-ए-किराम ने आशूरा के रोज़े में इस बात का एहतेमाम किया कि 9 या 11 मुहर्रम का एक रोज़ा मिला कर रखा जाए ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत खत्म हो जाए।

यौमे अरफा यानी ज़िलहिज्जा की नवीं तारीख का रोज़ा - नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अरफा का रोज़ा

एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों का मिटा देता है। (बुखारी व मुस्लिम)

शव्वाल के महीने के छः रोज़े - रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, फिर उसके बाद छः दिन शव्वाल के रोज़े रखे तो वह ऐसा है गोया उसने साल भर रोज़े रखे। (मुस्लिम) यह छः रोज़े ईद के बाद लगातार भी रखे जा सकते हैं और बीच में नागा करके भी रखे जा सकते हैं।

शाबान के महीने के रोज़े - नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे। (बुखारी) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़रीबन शाबान का पूरा महीना रोज़ा में गुज़रता था।
पंदरह शाबान के रोज़े के मुतअल्लिक़ उलमा के अक़वाल मुख्तलिफ हैं कि इस दिन रोज़े रखने की कोई खास फज़ीलत है या नहीं।

पीर और जुमेरात के दिन का रोज़ा - रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे और सहाबा-ए-किराम को भी इसकी तरगीब देते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पीर और जुमेरात को आमाल दरबारे इलाही में पेश किए जाते हैं और मैं यह चाहता हूं कि जब मेरे आमाल अल्लाह के सामने पेश हों तो मैं रोज़े से रहूं। (तिर्मिज़ी)

अय्यामे बीज़ यानी चांद की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े - रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोज़ों की बड़ी ताकीद फरमाते थे, नीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है कि यह तीन रोज़े अज्र व सवाब के लिहाज़ से पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर हैं। (मुस्लिम)

सौमे दाउदी - (एक दिन रोज़ा और एक दिन इफतार) नफल रोज़ों में अफज़ल रोज़ा है। (मुस्लिम)

मकरूह रोज़े

दर्जे ज़ैल रोज़े मकरूह हैं

1) सिर्फ जुमा या हफ्ता के दिन रोज़ा रखना। (अलबत्ता ऊपर ज़िक्र किए गए मसनून रोज़े इन दिनों में रखे जा सकते हैं)

2) औरत का शौहर की इजाज़त के बेगैर नफली रोज़े रखना।

3) शाबान के आखिरी दो या तीन दिन में रोज़े रखना।

हराम रोज़े

साल भर में दर्जे ज़ैल पांच रोज़े हराम हैं

1) ईदुल फित्र के दिन रोज़ा रखना।

2) ईदुल अज़हा के दिन का रोज़ा।

3) अय्यामे तशरीक (11, 12 और 13 जिलहिज्जा) के तीन रोज़े।

रमज़ानुल मुबारक

अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम क़ुरान करीम (सूरह बक़रह 183 से 187 तक) में रमज़ान और रोज़े के मुतअल्लिक़ अहकामात बयान किए हैं जिसकी तफसीर मुफस्सिरे क़ुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने अपनी किताब (मआरिफुल क़ुरान) में की है, जिसका खुलासए कलाम आप हज़रात के सामने पेश है। अल्लाह तआला हम सबको नेक आमाल की तौफीक़ अता फरमाए, खास कर इस मुबारक महीने की क़दर करने वाला बनाए।

खुलासए तफसीर (आयत 183 और 184)

ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़ा फर्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले (उम्मतों के) लोगों पर फर्ज़ किया गया था, इस उम्मीद पर कि तुम (रोज़ा की बदौलत रफ्ता रफ्ता) मुत्तक़ी बन जाओ। (क्यूंकि रोज़ा रखने से आदत पड़ेगी नफ्स को उसके बहुत से तक़ाज़ों से रोकने की और इसी आदत की पुख्तगी बुनियाद है तक़वा की, सो) थोड़े दिनों रोज़ा रख लिया करो (और थोड़े दिनों से मुराद रमज़ान है जैसा कि अगली आयत में आता है) फिर (इसमें इतनी आसानी है कि) जो शख्स तुम में (ऐसा) बीमार हो (जिस को रोज़ा रखना मुश्किल या नुक्सानदह हो) या (शरई) सफर में हो तो (उसको रमज़ान में रोज़ा न रखने की इजाज़त है और बजाए रमज़ान के) दूसरे दिनों का (इतना ही) शुमार (करके इनमें रोज़ा) रखना (उस पर वाजिब) है और (दूसरी आसानी जो बाद में मंसूख हो गई यह है कि) जो लोग रोज़े की ताक़त रखते हों (और फिर रोज़ा रखने को दिल ना

चाहे तो) उनके ज़िम्मे (सिर्फ रोज़े का) फिदया (यानी बदला)है कि वह एक गरीब का खाना (खिला देना या दे देना) और जो शख्स खुशी से (ज़्यादा) खैर (खैरात) करे (कि ज़्यादा फिदया देदे) तो यह इस शख्स के लिए और बेहतर है। और (गो हमने आसानी के लिए इन हालतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त दे दी है, लेकिन) तुम्हारा रोज़ा रखना (इस हालत में भी) ज़्यादा बेहतर है अगर तुम (कुछ रोज़े की फज़ीलत की) खबर रखते हो।

सौम (रोज़ा)

सौम के लफ्ज़ी मानी रुकने और बचने के हैं और शरई इस्तेलाह में खाने पीने और औरत से मुबाशरत करने से रुकने का नाम सौम है, बशर्तेकि वह सुबह सादिक़ के तुलू होने से लेकर गुरूबे आफताब तक मुसलसल रुका रहे और नियत रोज़ा की भी हो, इसलिए अगर गुरूबे आफताब से एक दो मिनट पहले भी कुछ खा पी लिया तो रोज़ा नहीं हुआ। नियत असल में दिल के इरादे का नाम है ज़बान से कहना शर्त नहीं, बल्कि बेहतर हे।

पिछली उम्मतों में रोज़े का हुकुम

रोज़े की फर्ज़ियत का हुकुम मुसलमानों को एक खास मिसाल से दिया गया है, हुकुम के साथ यह भी ज़िक्र फरमाया कि यह रोज़े की फर्ज़ियत कुछ तुम्हारे साथ खास नहीं, पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फर्ज़ किए गए थे, इससे रोज़े की खास अहमियत भी मालूम हुई और मुसलमानों की दिलजोई का भी इंतिजाम किया गया कि रोज़ा

अगरचे मशक़्क़त की चीज़ है मगर यह मशक़्क़त तुमसे पहले भी सब लोग उठाते आए हैं।

“**शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ**” में इशारा है कि तक़वा की क़ुवत हासिल करने में रोज़ा को बड़ा दखल है, क्यूंकि रोज़े से अपनी ख्वाहिशात को क़ाबू में रखने का एक मल्का पैदा होता है, वही तक़वा की बुनियाद है।

मरीज़ का रोज़ा

“पस जो तुममें से बीमार हो” मरीज़ से मुराद वह मरीज़ है जिसको रोज़ा रखने से नाक़ाबिले बर्दाशत तकलीफ पहुंचे, या मर्ज़ बढ़ जाने का क़वी अंदेशा हो, बाद की आयत ‘‘वला युरीदु बिकुमुल उस्र” में इसी तरफ इशारा मौजूद है। जमहूर फुक़हा-ए-उम्मत का यही मसलक है।

मुसाफिर को रोज़ा

“औ अला सफरिन” यहां लफ्जे मुसाफिर के बजाए अला सफरिन का लफ्ज़ इख्तियार फरमा कर कई अहम मसाइल की तरफ इशारा फरमा दिया, मुतलक़न लुगवी सफर यानी अपने घर और वतन से बाहर निकल जाना रोज़ा में रुख्सते सफर के लिए काफी नहीं बल्कि सफर कुछ लम्बा होना चाहिए, मगर यह तहदीद कि सफर कितना लम्बा हो, क़ुरान करीम के अल्फाज़ में मज़कूर नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान और सहाबा के आमाल से फुक़हा ने इसकी मिक़दार तक़रीबन 72 किलो मीटर मुतअय्यन की है। इसी तरह जो शख्स किसी एक मक़ाम पर पंदरह दिन या उससे

ज़्यादा ठहने की नियत करे तो वह भी मंजिले मक़सूद पर पहुंचने के बाद रुख्सते सफर का मुस्तहिक़ नहीं।

रोज़े की क़ज़ा

"फइद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र" मरीज़ व मुसाफिर को अपने छूटी हुई रोज़ों की तादाद के मुताबिक़ दूसरे दिनों में रोज़े रखना वाजिब है। अलबत्ता इस आयत में कोई क़ैद नहीं कि तरतीब वार रखे या गैर मुसलसल रखे, बल्कि आम इख्तियार है कि तरतीब वार या जुदा जुदा जैसा चाहे छूटी हुई रोज़ों की कज़ा करले।

रोज़े का फिदया

इस आयत के बज़ाहिर मानी वही हैं जो खुलासए तफसीर में लिखे गए हैं कि जो लोग मरीज़ या मुसाफिर की तरह रोज़ा रखने से मजबूर नहीं बल्कि रोज़े की ताक़त तो रखते हैं मगर किसी वजह से दिल नहीं चाहता तो उनके लिए यह गुनजाइश है वह रोज़ों के बजाए सदक़ा अदा कर दें। यह हुकुम शुरू इस्लाम में था जब लोगों को रोज़े का आदी बनाना मकसूद था, उसके बाद जो आयत आने वाली है उससे यह हुकुम आम लोगों के हक़ में मंसूख हो गया, सिर्फ ऐसे लोगों के हक़ में बाक़ी रहा जो बहुत बूढ़े हों या ऐसे बीमार हों कि अब सेहत की उम्मीद ही नहीं रही।

फिदया की मिक़दार

एक रोज़ा का फिदया तक़रीबन दो किलो गेहूं या उसकी क़ीमत किसी गरीब मिसकीन को देना है।

अहादीस से मालूम होता है कि रोज़े के सिलसिले में तीन तब्दीलियां हुईं
1) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो हर महीना में तीन रोज़े और एक रोज़ा (यौमे आशूरा) यानी दसवीं मुहर्रम का रखते थे।
2) जब रमज़ान के रोज़े की फर्ज़ियत हुई तो हुकुम यह था हर शख्स को इख्तियार है कि रोज़ा रख ले या फिदया देदे, अलबत्ता रोज़ा रखना अफज़ल है। फिर अल्लाह तआला ने दूसरी आयत नाज़िल फरमादी, जिसमें सेहतमंद के लिए यह इख्तियार खत्म करके सिर्फ रोज़ा रखना लाज़िम कर दिया मगर बहुत बूढ़े आदमी के लिए यह हुकुम बाक़ी रहा कि वह चाहे तो फिदया अदा कर दे।
3) शुरू में इफतार के बाद खाने पीने और अपनी ख्वाहिश पूरा करने की इजाज़त सिर्फ उस वक़्त तक थी जब तक आदमी सोए नहीं, जब सो गया तो दूसरा रोज़ा शुरू हो गया, खाना पीना वगैरह मना हो गया। फिर अल्लाह तआला ने आयत "उहिल्ल लकुम आखिर तक" नाज़िल फरमा कर यह आसानी अता फरमा दी कि सुबह सादिक़ तक खाना पीना, सोहबत करना सब जाएज़ है।

खुलासए तफसीर (आयत 185)

(वह थोड़े अय्याम जिनमें रोज़े का हुकुम हुआ है), रमज़ान का महीना है जिसमें (ऐसी बरकत है कि उसके एक खास हिस्सा यानी शबे क़दर में) क़ुरान करीम (लौहे महफूज़ से आसमाने दुनिया पर) भेजा गया है, जिसका (एक) वस्फ यह है कि लोगों के लिए (ज़रियए) हिदायत है और (दूसरा वस्फ यह है कि हिदायत के तरीक़े बतलाने

में इसका एक एक जुज़) वाज़ेहुद दलाला है (और इन दोनों वस्फों में) मिनजुमला इन कुतुब (समाविया) के (है) जो कि (इन्हीं दो वस्फों से मौसूफ हैं यानी ज़रियए) हिदायत (भी) हैं और (उनके दलालत की वजह से हक़ व बातिल के दरमियान) फैसला करने वाली (भी) हैं सो जो शख्स इस महीने में मौजूद हो इसको ज़रूर इसमें रोज़ा रखना चाहिए (और वह फिदया की इजाज़त जो ऊपर मज़कूर थी मंसूख व मौकुफ हुई) और (मरीज़ और मुसाफिर के लिए जो ऊपर क़ानून था वह अलबत्ता अब भी बाक़ी है कि) जो शख्स (ऐसा) बीमार हो (जिसमें रोज़ा रखना मुश्किल या नुक्सानदह हो) या (शरई) सफर में हो तो (इसको रमज़ान में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है और बजाए अय्यामे रमज़ान के) दूसरे अय्याम का (इतना ही) शुमार (करके उनमें रोज़ा) रखना (उस पर वाजिब है), अल्लाह तआला को तुम्हारे साथ (अहकाम में) आसानी (की रिआयत) करना मंज़ूर है (इसलिए ऐसे अहकाम मुक़र्रर किए जिनको तुम आसानी से बजा ला सको, चुनांचे सफर और मर्ज़ में कैसा आसान क़ानून मुक़र्रर कर दिया) और तुम्हारे साथ (अहकाम व क़वानीन मुक़र्रर करने में) दुश्वारी मंज़ूर नहीं (कि सख्त अहकाम तजवीज़ कर देते) और (यह अहकाम मज़कूरा हमने खास खास मसलेहतों से मुक़र्रर किए, चुनांचे पहला यह कि रोज़ा अदा रखने का और किसी शरई उज़्र से रह जाए तो दूसरे अय्याम में कज़ा करने का हुक्म तो इसी लिए किया) ताकि तुम लोग (अय्याम अदा या कज़ा की) शुमार की तकमील कर लिया करो, (ताकि सवाब में कमी न रहे) और (खुद कज़ा रखने का हुकुम इसलिए किया) ताकि तुम लोग अल्लाह तआला की बुज़ुरगी (और सना) बयान किया करो इस पर कि तुमको (ऐक ऐसा) तरीक़ा बतला

दिया (जिससे तुम बरकात व समराते सियाम से महरूम न रहो, वरना अगर कज़ा वाजिब ना होती तो कौन इतने रोज़े रख कर सवाब हासिल करता), और (उज़्र से खास रमज़ान में रोज़ा ना रखने की इजाज़त इसलिए देदी), ताकि तुम लोग (इस नेमते आसानी पर अल्लाह शुक्र अदा किया करो (वरना अगर यह इजाज़त ना होती तो सख्त मशक़्क़त हो जाती)।

इस आयत में पिछली मुजमल आयत का बयान भी है और रमज़ान की आला फज़ीलत का ज़िक्र भी, बयान इसलिए कि पछली आयत में "अय्यामम मादूदातिन" का लफ्ज़ मुजमल है जिसकी शरह इस आयत ने करदी कि वह पूरे रमज़ान के महीने के दिन हैं और फज़ीलत यह बयान की गई कि अल्लाह तआला ने इस महीना को अपनी वही और आसमानी किताबें नाज़िल करने के लिये मुन्तखब कर रखा है, चुनांचे क़ुरान भी इसी महीने मे नाज़िल हुआ।

"मन शहिदा मिनकुमुश शहर फलयसुमहु" जो शख्स रमज़ान के महीने में हाज़िर यानी मौजूद हो उस पर लाज़िम है कि पूरे महीने के रोज़े रखे। रोज़ा के बजाए फिदया देने का आम इख्तियार जो इससे पहली आयत में मज़कूर है इस जुमले ने मंसूख करके रोज़ा ही रखना लाज़िम कर दिया है।

"मन कान मिनकुम मरीज़न आखिर तक" इस में मरीज़ और मुसाफिर को रुख्सत दी गई है कि वह उस वक़्त रोज़ा न रखे, तन्दरुस्ती होने और सफर खत्म होने पर इतने दिनों की कज़ा करले, यह हुकुम अगरचे पिछली आयत में भी आ चुका था मगर जब इस आयत में रोज़ा के बजाए फिदया देने का इख्तियार मंसूख किया गया तो यह शुबहा हो सकता है था कि शायद मरीज़ और मुसाफिर

की रुख्सत भी मंसूख हो गई हो इसलिए दोबारा इसको बयान किया गया।

खुलासाए तफसीर (आयत 186)

पिछली तीन आयतों में रोज़ा और रमज़ान के अहकाम और फज़ाइल का ज़िक्र था और उसके बाद भी एक तवील आयत में रोज़ा और एतेकाफ के अहकाम की तफसील है, दरमियान की इस मुख्तसर आयत में बन्दों के हाल पर अल्लाह तआला की खास इनायत, उनकी दुआएं सुनने और क़बूल करने का ज़िक्र फरमा कर इताअते अहकाम की तर्गीब दी गई है, क्यूंकि रोज़ा की इबादत में रुख्सतों और सहूलतों के बावजूद किसी क़दर मशक़्क़त है, इसको आसान करने के लिए अपनी मख्सूस इनायत का ज़िक्र फरमाया कि मैं अपने बन्दों से क़रीब ही हूं, जब भी दुआ मांगते हैं मैं उनकी दुआएं क़बूल करता हूं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता हूं। हदीसे क़ुदसी में है कि अल्लाह तआला ने फरमाया कि रोज़ा का बदला मैं खुद हूं।
रोज़ा की हालत खास कर इफतार के वक़्त की दुआएं क़बूल की जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा इफतार करने के वक़्त रोज़ादार की दुआ मक़बूल है। इसी लिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इफतार के वक़्त सब घर वालों को जमा करके दुआ किया करते थे।

खुलासाए तफसीर (आयत 187)

इस आयत में रोज़ा के बक़िया अहकाम की कुछ तफसीर मज़कूर है, तुम लोगों के वास्ते रोज़ा की शब (रात) में अपनी बीवियों से मशगूल

होना (सोहबत करना) हलाल कर दिया गया है (और पहले जो इससे मना किया गया था वह मौक़ूफ की गई) क्यूंकि (बवजह क़ुर्ब व इत्तिसाल के) वह तुम्हारे (लिए) ओढ़ने बिछौने (के) हैं और तुम उनके (लिए) ओढ़ने बिछौने (के) हो। अल्लाह तआला को इसकी खबर थी कि तुम (इस हुक्मे इलाही में) खयानत (कर) के गुनाह में अपने को डाल सकते हो, (मगर) खैर (जब तुम माज़रत से पेश आए तो) अल्लाह तआला ने तुम पर इनायत फरमाई और तुम से गुनाह को धो दिया, सो (जब इजाज़त हो गई तो) अब इनसे (अपनी बीवी से) मिलो मिलाओ और जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिख दिया है उसको तलब करो और (जिस तरह शबे सियाम में बीवी से हमबिस्तरी की इजाज़त है इसी तरह यह भी इजाज़त है कि तमाम रात में जब चाहो) खाओ (भी) और पीयो (भी) उस वक़्त तक कि तुमको सफेद खत सुबह (सादिक़ की रौशनी) का मुतमैयिज हो जाए सियाह खत से (रात की तारीकी से) तो फिर (सुबह सादिक़ से) रात (आने) तक रोज़ा को पूरा किया करो।

और इन बीवियों (के बदन) से अपना बदन भी (शहवत के साथ) मत मिलने दो जिस ज़माने में कि तुम लोग एतेकाफ वाले हो, (जो कि) मस्जिदों में (हुआ करता है)। यह (सब अहकामे मज़कूरा) खुदावंदी ज़ाब्ते हैं, सो इन (ज़ाब्तों) से (निकलना तो कैसा) निकलने के नज़दीक भी मत होना (और जिस तरह अल्लाह तआला ने यह अहकाम बयान किए हैं) इसी तरह अल्लाह तआला अपने (और) अहकाम (भी) लोगों (की इस्लाह) के वास्ते बयान फरमाया करते हैं, इस उम्मीद पर कि वह लोग (अहकाम का जान कर इन अहकाम की खिलाफवर्ज़ी करने से) परहेज़ रखें।

इब्तिदा में जब रजमान के रोज़े फर्ज़ किए गए तो इफतार के बाद खाने पीने और बीवियों के साथ इख्तिलात की सिर्फ उस वक़्त तक इजाज़त थी जब तक सो न जाए, सो जाने के बाद यह सब चीजें हराम हो जाती थीं। बाद में यह आयत नाज़िल हुई जिसमें पहला हुकुम मंसूख करके गुरूबे आफताब के बाद से तुलू सुबह सादिक़ तक पूरी उम्मत में खाने पीने और मुबाशरत की इजाज़त देदी गई।

एतेकाफ और उसके मसाइल

एतेकाफ के मानी किसी जगह ठहरने के हैं और इस्तिलाहे क़ुरान व सुन्नत में खास शराएत के साथ मस्जिद में ठहरने और क़याम करने का नाम एतेकाफ है। रमज़ान के आखिरी अशरा का एतेकाफ सुन्नते मुअक्कदा अलल किफाया है। आखिरी अशरा के एतेकाफ के लिए बीस रमज़ान को सूरज डूबने से पहले मस्जिद में दाखिल होना ज़रूरी है। हालते एतेकाफ में रात को खाने पीने का तो वही हुकुम है जो सबके लिए है मगर बीवी के साथ मुबाशरत वगैरह करना जाएज़ नहीं है। एतेकाफ में मस्जिद से निकलना बेगैर हाजते तबई या शरई के जाएज़ नहीं है।

सेहरी खाने का आखिरी वक़्त

अहादीस में रात के आखिरी वक़्त में सेहरी खाने की फज़ीलत आई है, लेकिन जैसा कि इस आयत में ज़िक्र हुआ कि रोज़ा में खाने पीने और मुबाशरत की जो मुमानअत है यह अल्लाह के हुदूद हैं और उनके क़रीब भी मत जाओ, क्यूंकि क़रीब जाने से हद शिकनी का एहतेमाल है, इसी लिए रोज़ा की हालत में कुल्ली करने में मुबालगा

करना मकरूह है, जिससे पानी अंदर जाने का खतरा है। बीवी से बोस व किनार मकरूह है, इसी तरह सेहरी खाने में इतियात से कम लें और सेहरी का वक़्त खत्म होने से एक दो मिनट पहले सेहरी खाने से फारिग हो जाएं।

अल्लाह तआला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक़ अता फरमाए और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की इस अज़ीम खिदमत को क़बूल फरमाए, आमीन।

नमाज़े तरावीह

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तेफाक़ है कि नमाज़े तरावीह फर्ज़ नहीं बल्कि सुन्नत है, अलबत्ता 1400 साल से जारी अमल के खिलाफ बाज़ हज़रात 20 रिकात नमाज़े तरावीह को बिदअत या खिलाफे सुन्नत क़रार देने में हर साल रमज़ान और रमज़ान से पहले अपनी सलाहियतों का बेशतर हिस्सा खर्च करते हैं जिससे उम्मते मुस्लिमा के आम तबक़े में इंतिशार ही पैदा होता है, हालांकि अगर कोई शख्स 8 की जगह 20 रिकात पढ़ रहा है तो यह उसके लिए बेहतर ही तो है, क्योंकि क़ुरान व हदीस की रौशनी में सारी उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक़ है कि रमज़ान की रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, नीज़ हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत से उम्मते मुस्लिमा जमाअत के साथ 20 ही रिकात तरावीह पढ़ती आई है, हरमैन (मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी) में आज तक कभी भी 8 रिकात तरावीह नहीं पढ़ी गई।

इस मौज़ू से मुतअल्लिक़ अहादीस का जितना भी ज़खीरा मौज़ूद है किसी भी एक सही, मोतबर और गैर काबिले नक़्द व जरह हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावीह की तादाद का वाज़ेह सबूत नहीं मिलता है, अगरचे बाज़ अहादीस में जिनकी सनद में यक़ीनन कुछ ज़ोफ मौज़ूद है 20 रिकात का ज़िक्र मिलता है। अल्लाह इब्ने तैमिया ने लिखा है कि जिस शख्स का यह ख्याल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की कोई तादाद मुक़र्रर की है जिसमें कमी बेशी नहीं हो सकती है तो वह

गलती पर है। (फतावा इब्ने तैमिया जिल्द 2 पेज 401) इसी तरह अल्लामा शौकानी ने लिखा है कि मसअला तरावीह की तमाम रिवायात में नमाज़े तरावीह का बाजमाअत या तन्हा पढ़ना तो साबित है, लेकिन खास कर तरावीह की तादाद और इसमें क़िरात की ताईन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंक़ूल नहीं है। (नैलुल औतार जिल्द 3 पेज 46) मैंने इन दो शख्सियात का ज़िक्र इस लिए किया है क्योंकि 8 रिकात तरावीह का मौक़िफ इख्तियार करने वाले हज़रात इन दो शख्सियात की राय को खास अहमियत देते हैं।

दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में 20 रिकात तरावीह और 3 रिकात वित्र जमाअत के साथ पढ़नेका एहतेमाम हुआ जैसा कि मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुअर्रिख़ीन और उलमा ने तसलीम किया है। अल्लामा इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि हज़रतउमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब सहाबा को हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में जमा किया तो वह 20 रिकात तरावीह और 3 वित्र पढ़ाते थे। हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उन खुलफाए राशिदीन में से हैं जिनकी बाबत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो और इसी को दाढ़ों के साथ मज़बूती से पकड़े रखो। अल्लामा इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ों का इसलिए ज़िक्र किया कि दाढ़ों की गिरिफ्त मज़बूत होती है, लिहाज़ा हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का यह इक़दाम ऐने सुन्नत है। (फतावा इब्ने तैमिया जिल्द 2 पेज 401)

उम्मुल मोमेनीन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात 57 या 58 हिजरी में हुई और हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 15 हिजरी में तरावीह की जमाअत हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में बाक़ायदा शुरू फरमाई, अगर 20 रिकात तरावीह का अमल बिदअत होता तो 42 साल के लम्बे अरसे में हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा का आठ रिकात वाली हदीस को 20 रिकात पढ़ने के खिलाफ पेश करना साबित होता, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सउदी अरब के नामवर आलिम, मस्जिदे नबवी के मशहूर मुदर्रिस और मदीना के (साबिक़) क़ाजी शैख अतिया मोहम्मद सालिम ने नमाज़े तरावीह की 1400 साला तारीख पर अरबी ज़बान में एक मुस्तक़िल किताब लिखी है जिसमें साबित किया है कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत से आज तक हरमैन (मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी) में कभी भी 20 से कम तरावीह नहीं पढ़ी गई।

तरावीह के मानी

बुखारी शरीफ की मशहूर व मारूफ शरह लिखने वाले हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने लिखा है कि तरावीह तरवीहा की जमा है और तरवीहा के मानी एक दफा आराम करना है, जैसे तसलीमा के मानी एक दफा सलाम फेरना। रमज़ान की रातों में नमाज़े इशा के बाद बाजमाअत नमाज़ को तरावीह कहा जाता है, क्योंकि सहाबा का इत्तेफाक़ इस पर हो गया कि हर दो सलामों (चार रिकात) के बाद कुछ देर आराम फरमाते थे। (फतहुल बारी शरह सहीहुल बुखारी)

नमाज़े तरावीह की फज़ीलत

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स रमज़ान (की रातों) में ईमान के साथ और सवाब की नियत से (इबादतके लिए) खड़ा हो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। (बुखारी व मुस्लिम) सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि शोहरत और दिखावे के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह तआला की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत की जाए।

नमाज़े तरावीह की तादादे रिकात

तरावीह की तादादे रिकात के सिलसिले में उलमा के दरमियान इख्तेलाफ है। तरावीह पढ़ने की अगरचे बहुत फज़ीलत अहादीस में आई है, लेकिन फर्ज़ न होने की वजह से तरावीह की तादाद मे यक़ीनन गुंजाइश है। जमहूर मुहद्दिसीन, फुक़हा व उलमा की राय है कि तरावीह 20 रिकात पढ़नी चाहिए। तरावीह की तादादे रिकात में उलमा के दरमियान इख्तेलाफ की असल बुनियाद यह है कि तरावीह और तहज्जुद एक नमाज़ है या दो अलग अलग नमाजें। जमहूर मुहद्दिसीन, फुक़हा व उलमा ने इन दोनों को अलग अलग नमाज़ क़रार दिया है, उनके नुकतए नज़र में हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवयात का तअल्लुक़ तहज्जुद की नमाज़ से है जिसमें उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और रमज़ान के अलावा 11 रिकात से ज़ायद नमाज़ नहीं पढ़ते थे। जिसके उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल दिए हैं जिनमें से बाज़ यह हैं।

1) इमाम बुखारी ने अपनी मशहूर किताब “सही बुखारी” में नमाज़े तहज्जुद का ज़िक्र “किताबुत तहज्जुद” में जबकि नमाज़े तरावीह को “किताबु सलातित तरावीह” में ज़िक्र किया है। इससे साफ ज़ाहिर होता कि दोनों नमाजें अलग अलग हैं जैसा कि जमहूर उलमा और अइम्मए अरबा ने फरमाया। अगर दोनों एक ही नमाज़ होती तो इमाम बुखारी को दो अलग अलग बाब बांधने की क्यों ज़रूरत महसूस होती। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली हदीस “किताबुत तहज्जुद” में ज़िक्र करके इमाम बुखारी ने साबित कर दिया कि इस हदीस का तअल्लुक़ तहज्जुद की नमाज़ से है।

2) तरावीह सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है और इस हदीस में ऐसी नमाज़ का ज़िक्र है जो रमज़ान के अलावा भी पढ़ी जाती है।

3) अगर हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के फरमान का तअल्लुक़ तरावीह की नमाज़ से है तो हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब बाज़ाब्ता जमाअत के साथ 20 रिकात तरावीह का एहतेमाम हुआ तो किसी भी सहाबी ने इस पर कोई तंकीद क्यों नहीं की? (दुनिया की किसी किताब में, किसी ज़बान में भी किसी एक सहाबी का हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 20 रिकात तरावीह के शुरू होने पर कोई एतेराज़ मज़कूर नहीं है)। अगर ऐसी वाज़ेह हदीस तरावीह की तादाद के मुतअल्लिक़ होती तो हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा को कैसे हिम्मत होती कि वह 8 रिकात तरावीह की जगह 20 रिकात तरावीह शुरू कर देते। सहाबए किराम तो एक ज़रा सी चीज़ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की मुखालफत बर्दाशत नहीं करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने

का जज़्बा यक़ीनन सहाबए किराम में हमसे बहुत ज़्यादा था। बल्कि हम (यानी आज के मुसलमान) सहाबा की सुन्नतों पर अमल करने के जज़्बे से अपना कोई मुक़ारना भी नही कर सकते, नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को भी मज़बूती से पकड़ लें। (इब्ने माजा)

4) अगर इस हदीस का तअल्लुक़ वाक़ई तरावीह की नमाज़ से है (और तहज्जुद व तरावीह एक नमाज़ है) तो रमज़ान के आखरी अशरे में नमाज़े तरावीह पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज़ क्यों पढ़ी जाती है?

5) इस हदीस का तअल्लुक़ तहज्जुद की नमाज़ से है जैसा कि मुहद्दिसीन ने इस हदीस को तहज्जुद के बाब में नक़ल किया है न कि तरावीह के बाब में। (मुलाहज़ा हो मुस्लिम, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसई, मोअत्ता इमाम मालिक)

अल्लामा शमसुद्दीन किरमानी (बुखारी की शरह लिखने वाले) लिखते हैं कि यह हदीस नमाज़े तहज्जुद के बारे में है और हज़रत अूब सलमा का मज़कूरा बाला सवाल और हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जवाब तहज्जुद के मुतअल्लिक़ था। (अलकौकबुद दरारी शरह सहीहुल बुखारी)

हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देलहवी फरमाते हैं कि सही यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रिकात (वित्र के साथ) पढ़ते थे वह तहज्जुद की नमाज़ थी। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलहवी फरमाते हैं कि यह हदीस तहज्जुद की नमाज़ पर महमूल है जो रमज़ान और गैरे रमज़ान में बराबर थी। (मजमूआ फतावा अज़ीज़ी पेज 125)

नमाज़े तरावीह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (रमज़ान की) एक रात मस्जिद में नमाज़े तरावीह पढ़ी, लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज़ में ज़्यादा सहाबा शरीक हो गए। तीसरी या चौथी रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े तरावीह के लिए मस्जिद में तशरीफ न लाए और सुबह को फरमाया मैंने तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं यह नमाज़ तुम पर रमज़ान में फर्ज़ न कर दी जाए। (मुस्लिम) इन दो या तीन दिन की तरावीह के मुतअल्लिक़ कोई तादाद अहादीसे सहीहा में मज़कूर नही है।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामे रमज़ान की तर्गीब तो देते लेकिन वुज़ूब का हुकुम नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो शख्स रमज़ान की रातों में नमाज़ (तरावीह) पढ़े और वह ईमान के दूसरे तक़ाजों को भी पूरा करे और सवाब की नियत से यह अमल करे तो अल्लाह तआला उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक यही अमल रहा, दौरे सिद्दीक़ी और इब्तिदाए अहदे फारूक़ी में भी यही अमल रहा। (मुस्लिम)

सही मुस्लिम की इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़

रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत और हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के इब्तेदाई दौरे खिलाफत में नमाज़े तरावीह जमाअत से पढ़ने का कोई एहतेमाम नहीं था, सिर्फ तर्गीब दी जाती थी, अलबत्ता हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत में यक़ीनन तब्दीली हुई है, इस तब्दीली की वज़ाहत मज़मून में मुहद्दिसीन, फुक़हा और उलमा की तहरीरों की रौशनी में आ रही है।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत (जिसमें उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और रमज़ान के अलावा 11 रिकात से ज़ायद नमाज़ नहीं पढ़ते थे) में लफ्ज़े तरावीह का ज़िक्र नहीं है, लिहाज़ा इस हदीस का तअल्लुक़ तहज्जुद की नमाज़ से है, क्योंकि मुहद्दिसीन ने इस हदीस को तहज्जुद के बाब में नक़ल किया है न कि तरावीह के बाब में। (मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाउद, नसई, मोअत्ता इमाम मालिक) इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इन मुहद्दिसीन के नज़दीक यह हदीस तहज्जुद की नमाज़ से मुतअल्लिक़ है न कि तरावीह से।

इमाम मोहम्मद बिन नज़र मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब (क़यामुल लैल) में क़यामे रमज़ान का बाब बांध कर बहुत सी हदीसें और रिवायतें नक़ल फरमाई हैं, मगर मज़कूरा हदीसे आइशा नक़ल नहीं फरमाई इस लिए कि उनके नज़दीक यह हदीस तरावीह के मुतअल्लिक़ है ही नहीं।

अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने अपनी मशहूर व मारूफ किताब (ज़ादुल मआद) में क़यामुल लैल (तहज्जुद) के बयान में यह हदीस नक़ल फरमाई है। इसके अलावा इस रिवायत के मुतअल्लिक़ हाफिज़े हदीस

इमाम कुर्तुबी का यह क़ौल भी नज़र अंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए कि बहुत से अहले इल्म हज़रात इस रिवायत को मुज़तरिब मानते हैं। (अैनी शरह बुखारी जिल्द 7 पेज 178)

नमाज़े तरावीह खुलफाए राशिदीन के ज़माने में

— हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में कितनी तरावीह पढ़ी जाती थीं अहादीसे सहीहा में सहाबए किराम का कोई अमल मज़कूर नहीं है, गोया उस दौर का मामूल हस्बे साबिक़ रहा और लोग अपने तौर पर नमाज़े तरावीह पढ़ते रहे, गरज़ ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत (यानी दौरे रमज़ान) में नमाज़े तरावीह बाक़ायदा जमाअत के साथ एक मरतबा भी अदा नहीं हुई।

— हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अपने अहदे खिलाफत में लोगों को देखा कि अलग अलग तरावीह पढ़ रहे हैं तो हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब सहाबा को हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में जमा किया और इशा के फराएज़ के बाद वित्र से पहले बाजमाअत 20 रिकात नमाज़े तरावीह में क़ुरआन करीम पूरा करने का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू किया। मुलाहज़ा हो कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में यह सब कुछ शुरू हुआ।

1) पूरे रमज़ान तरावीह पढ़ना। (जिस पर पूरी उम्मत का अमल है)

2) तरावीह का मुस्तक़िल जमाअत के साथ पढ़ना। (जिस पर पूरी उम्मत का अमल है)

3) रमज़ान में वित्र जमाअत के साथ पढ़ना। (जिस पर पूरी उम्मत का अमल है)

4) 20 रिकात तरावीह पढ़ना। (तरावीह की कैफियत तो क़ाबिले क़बूल है, लेकिन तादादे रिकात महल्ले नज़र?)

— हज़रत अब्दुर रहमान क़ारी फरमाते हैं कि मैं हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रमज़ान में मस्जिद में गया तो देखा कि लोग मुख्तलिफ जमाअतों में अलग अलग नमाज़े तरावीह पढ़ रहे हैं, कोई अकेला पढ़ रहा है और किसी के साथ कुछ और लोग भी शरीक हैं, इस पर हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वल्लाह! मेरा ख्याल है कि अगर इन सबको एक इमाम की इक़्तिदा में जमा कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है और सबको हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इक़्तिदा में जमा कर दिया। हज़रत अब्दुर रहमान फरमाते हैं कि फिर जब हम दूसरी रात निकले और देखा कि सब लोग एक ही इमाम की इक़्तिदा में नमाज़े तरावीहअदा कर रहे हैं तो हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह बड़ा अच्छा तरीक़ा है और मज़ीद फरमाया कि अभी तुम रात के जिस आखिरी हिस्से में सो जाते हो वह उस वक़्त से भी बेहतरहै जिसको तुम नमाज़ में खड़े हो कर गुज़ारते हो। (मोअत्ता इमाम मालिक)

— हज़रत यज़ीद बिन रूमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग (सहाबए किराम) हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में 23 रिकात (20 रिकात तरावीह और 3 रिकात वित्र) अदा फरमाते थे। (मोअत्ता इमाम मालिक)

— अल्लामा बैहक़ी ने किताबुल मारिफा में नक़ल किया है कि हज़रत साइब बिन यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकुमत में हम 20 रिकात तरावीह और वित्र पढ़ा करते थे। इमाम ज़ैलई ने इस हदीस की सनद को सही क़रार दिया हे। (नसबुर राय जिल्द 2 पेज 154)

— हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें हुक्म दिया कि रमज़ान की रातों में नमाज़ पढ़ाएं चुनांचे फरमाया कि लोग सारा दिन रोज़ा रखते हैं और क़िरात अच्छी तरह नहीं कर सकते, अगर आप रात को उन्हें (नमाज़ में) कुरान सुनाएं तो बहुत अच्छा होगा, तो हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें 20 रिकातें पढ़ाईं। (मुसनद अहमद बिन मनीअ बहावाला इत्तिहाफुल खैर)

— मोअत्ता इमाम मालिक में यज़ीद बिन खुसैफा रहमतुल्लाह अलैह के तरीक से साइब बिन यज़ीद की रिवायत है कि अहदे फारूकी में बीस रिकात तरावीह थीं। (फतहुल बारी, नैलुल औतार)

— हज़रत मोहम्मद बिन काब अलकुर्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह (जो जलीलुल क़दर ताबेई हैं) फरमाते हैं कि लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 20 रिकात तरावीह पढ़ते थे। (क़यामुल लैल लिल मरवज़ी पेज 157)

— हज़रत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को हुकुम दिया कि लोगों को 20 रिकात तरावीह पढ़ाए। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 285)

— हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत पर जमा फरमाया। वह लोगों को 20 रिकात नमाज़े तरावीह पढ़ाते थे। (अबू दाउद जिल्द 1 पेज 211)

— हज़रत साईब बिन यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में तीन रिकात (वित्र) और 20 रिकात (तरावीह) पढ़ी जाती थीं। (मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द 4 पेज 201 हदीस नं॰ 7763)

— हज़रत साईब बिन यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हम 20 रिकात तरावीह पढ़ा करते थे और क़ारी साहब सौ सौ आयत वाली सूरतें पढ़ते थे और लम्बे क़याम की वजह से हज़रत उसमान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में लाठियों का सहारा लेते थे। (सुनन कुबरा लिल बैहक़ी जिल्द 2 पेज 496)

— हज़रत अबुल हुसना रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को हुकुम दिया कि वह लोगों को रमज़ान में 20 रिकात तरावीह पढ़ाए। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 285)

— हज़रत अबू अब्दुर रहमान अस सुलमी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमज़ान में क़ारियों को बुलाया फिर उनमें से एक क़ारी को हुकुम दिया कि वह लोगों को 20 रिकात तरावीह पढ़ाए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद उन्हें वित्र पढ़ाते थे। (सुनन कुबरा लिल बैहक़ी जिल्द 2 पेज 496)

नमाज़े तरावीह से मुतअल्लिक़ सहाबा व ताबेईन का अमल

— हज़रत आमश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का मामूल भी 20 रिकात तरावीह और 3 रिकात वित्र पढ़ने का था। (क़यामुल लैल लिल मरवज़ी पेज 157)

— हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफैअ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु रमज़ान में लोगों को 20 रिकात तरावीह और 3 रिकात वित्र पढ़ाते थे। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 285)

— हज़रत अता बिन अबी रुबाह रहमतुल्लाह अलैह (जलीलुल क़दर ताबई तक़रीबन 200 सहाबए किराम की ज़ियारत की है) फरमाते हैं कि मैंने लोगों (सहाबा) को 20 रिकात तरावीह और 3 रिकात वित्र पढ़ते पाया है। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 285)

— हज़रत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह (जलीलुल कदर ताबेई, कूफा के मशहूर व मारूफ मुफ्ती) फरमाते हैं कि लोग रमज़ान में 5 तरवीहा से 20 रिकात पढ़ते थे। (किताबुल आसार बरिवायत अबी यूसुफ पेज 41)

— हज़रत शीतर बिन शकल रहमतुल्लाह अलैह (मशहूर ताबई हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द) लोगों को रमज़ान में 20 रिकात तरावीह और 3 रिकात वित्र पढ़ाते थे। (सुनन कुबरा बैहक़ी जिल्द 2 पेज 496)

— हज़रत अबुल बुखतरी रहमतुल्लाह अलैह (अहले कूफा में अपना इल्मी मक़ाम रखते थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत उमर

और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हुम के शागिर्द) आपके बारे में रिवायत है कि आप रमज़ान में 5 तरवीहे से 20 रिकात तरावीह और 3 रिकात वित्र पढ़ाते थे। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 285)

— हज़रत सुवैद बिन गफला रहमतुल्लाह अलैह (हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह सहाबा की ज़ियारत की है) आपके बारे में अबुल खजीब फरमाते हैं कि हज़रत सुवैद बिन गफला रमज़ान में 5 तरवीहे से 20 रिकात तरावीह पढ़ाते थे। (सुनन कुबरा लिल बैहक़ी जिल्द 2 पेज 496)

— हज़रत इब्ने अबी मुलैका (जलीलुल कदर ताबई, तक़रीबन तीस सहाबा की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए) आपके मुतअल्लिक़ हज़रत नाफे बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अबी मुलैका हमें रमज़ान में 20 रिकात तरावीह पढ़ाते थे। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 285)

नमाज़े तरावीह से मुतअल्लिक़ अकाबरीन उम्मत के अक़वाल

इमाम अबू हनीफा - अल्लामा इब्ने रुश्द लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा के यहां क़यामे रमज़ान 20 रिकात है। (बिदायतुल मुजतहिद जिल्द 1 पेज 214) इमाम फखरुद्दीन क़ाजी खान लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि रमज़ान में हर रात 20 यानी 5 तरवीहा वित्र के अलावा पढ़ना सुन्नत है। (फतावा क़ाजी खां जिल्द 1 पेज 112)

अल्लामा अलाउद्दीन कासानी हनफी लिखते हैं कि सही क़ौल जमहूर उलमा का यह है कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में सहाबा को तरावीह पढ़ाने पर जमा फरमाया तो उन्होंने 20 रिकात तरावीह पढ़ाई और सहाबा की तरफ से इजमा था। (बदाए सनाए)

इमाम मालिक - इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर क़ौल के मुताबिक़ तरावीह की 36 रिकात हैं, जबकि उनके एक क़ौल के मुताबिक़ 20 रिकात सुन्नत हैं। अल्लामा इब्ने रुश्द क़ुर्तुबी मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम मालिक ने एक क़ौल में 20 रिकात तरावीह का पसंद फरमाया है। (बिदायतुल मुजतहिद जिल्द 1 पेज 214) मस्जिदे हराम में तरावीह की हर चार रिकात के बाद तरवीहा के तौर पर मक्का के लोग एक तवाफ कर लिया करते थे, जिस पर मदीना वालों ने हर तरवीहा पर चार चार रिकात नफल पढ़नी शुरू कर दीं तो इस तरह इमाम मालिक की एक राय में 36 रिकात (20 रिकात तरावीह और 16 रिकात नफल) हो गईं।

इमाम शाफई - इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे 20 रिकात तरावीह पसंद हैं, मक्का में 20 रिकात ही पढ़ते हैं। (क़यामुल लैल पेज 159) एक दूसरे मक़ाम पर इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने शहर मक्का में लोगों को 20 रिकात नमाज़े तरावीह पढ़ते पाया है। (तिर्मिज़ी जिल्द 1 पेज 166) अल्लामा नववी शाफई लिखते हैं कि तरावीह की रिकात के मुतअल्लिक़ हमारा (शवाफे) मसलक वित्र के अलावा दस सलामों के साथ 20 रिकात का है और 20 रिकात पांच तरवीहा हैं और एक तरवीहा चार रिकात का दो सलामों के साथ, यही इमाम अबू हनीफा

और उनके असहाब और इमाम अहमद बिन हमबल और इमाम दाउद ज़ाहिरी का मसलक है और क़ाजी अयाज़ ने 20 रिकात तरावीह को जमहूर उलमा से नक़ल किया है।

इमाम अहमद बिन हमबल - फिकहा हनफी के मुमताज़ तरजुमान अल्लामा इब्ने कुदामा लिखते हैं इमाम अबू अब्दुल्लाह (अहमद बिन हमबल) का पसंदीदा क़ौल 20 रिकात का है और हज़रत सुफयान सौरी भी यही कहते हैं और उनकी दलील यह है कि जब हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा को हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इक़्तिदा में जमा किया तो वह 20 रिकात पढ़ते थे नीज़ हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल का इस्तिदलाल हज़रत यज़ीद व अली की रिवायात से है। इब्ने कुदामा कहते हैं कि यह बमंजिला इजमा के है, नीज़ फरमाते हैं कि जिस चीज़ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अमल पैरा रहे हों वही इत्तिबा के लाएक़ है। (अलमुगनी इब्ने कुदामा जिल्द 2 पेज139, सलातुत तरावीह)

इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं कि जमहूर अहले इल्म का मसलक वही है जो हज़रत अली व हज़रत उमर और दूसरे सहाबा से मंकूल है कि तरावीह में 20 रिकात हैं, हज़रत सुफयान सौरी, इब्ने मुबारक और इमाम शाफई का भी यही मसलक है और इमाम शाफई फरमाते हैं कि मैंने अहले मक्का को 20 रिकात पढ़ते देखा। (तिर्मिज़ी) इमाम तिर्मिज़ी ने इस मौक़े पर लिखा है कि बाज़ हज़रात मदीना में 41 रिकात तरावीह पढ़ा करते थे, लेकिन इमाम तिर्मिज़ी ने अहलेमक्का या अहले मदीना में से 8 तरावीह पर किसी का अमल नक़ल नहीं किया।

मुस्लिम शरीफ की सबसे मशहूर व मारूफ शरह लिखने वाले अल्लामा नववी जो रियाज़ुस सालेहीन के मुसन्निफ भी हैं फरमाते हैं कि क़यामे रमज़ान से मुराद तरावीह है और तमाम उलमा मुत्तफिक़ हैं कि यह नमाज़ अल्लाह तआला को महबूब है, अलबत्ता इसमें कुछ इख्तेलाफ है कि घर में अकेला पढ़ना बेहतर है या मस्जिद में जमाअत के साथ? तो इमाम शाफई, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हमबल बाज़ मालिकी और दूसरे हज़रात फरमातते हैं कि जमाअत के साथ पढ़ना बेहतर है, चूंकि हज़रत उमर फारूक़ और हज़राते सहाबए किराम ने ऐसा ही किया और इस पर मुसलसल अमल जारी है हत्ताकि यह मुस्लमानों की ज़ाहिरी अलामतों में से एक अलामत है। (शरह मुस्लिम लिन नववी)
नीज़ अल्लामा नववी फरमाते हैं कि जान लो कि नमाज़े तरावीहके सुन्नत होने पर तमाम उलमा का इजमा है और यह 20 रिकात हैं जिन में हर दो रिकात के बाद सलाम फेरा जाता है। (अल अज़कार पेज 83)
अल्लामा अैनी (बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाले) तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक़, हज़रत उसमान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में तरावीह की 20 रिकात पढ़ी जाती थीं। (अैनी जिल्द 7 पेज178)
शैख इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तरावीह 20 रिकातें हैं जिन का तरीक़ा मारूफ व मशहूर है और यह सुन्नते मुअक्कदा है। (इहयाउल उलूम जिल्द 1 पेज 132)
शैख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तरावीह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका

है और यह 20 रिकात हैं। (गुनयतुत तालिबीन पेज 267, 268) मौलाना क़ुतुबुद्दीन खान मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इजमा हुआ सहाबा का इस पर कि तरावीह की 20 रिकात हैं। (मज़ाहिरे हक़ जिल्द 1 पेज 436)

हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी सबसे मशहूर किताब (हुज्जतुल लाहिल बालिगह) में लिखा है कि सहाबए किराम और ताबईन के ज़माने में तरावीह की 20 रिकात मुक़र्रर हुई थीं, चुनांचे फरमाते हैं कि सहाबए किराम और ताबईन ने क़यामे रमज़ान में तीन चीजें ज़्यादा की हैं।

1) मस्जिदों में जमा होना, क्योंकि इससे अवाम व खास पर आसानी होती है।

2) इसको शुरू रात में अदा करना, जबकि आखिर रात में पढ़ना ज़्यादा अफज़ल है जैसा कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तरफ इशारा फरमाया।

3) तरावीह की तादाद 20 रिकात। (हुज्जतुल लाहिल बालिगह)

मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक़ हसन खां मरहूम भोपाली ने लिखा है कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो तरीक़ा 20 रिकात पढ़ाने का हुआ उसको उलमा ने इजमा के मिस्ल शुमार किया है। (औनुल बारी जिल्द 4 पेज 317)

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस की मुकम्मल इबारत और उसका सही मफहुम

हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर रहमान ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की

रमज़ान में नमाज़ की क्या कैफियत हुआ करती थीं? तो हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैरे रमज़ान में 11 रिकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले चार रिकात अदा करते थे और उनकी खूबी और उनकी लम्बाई के बारे में मत पूछो (कि वह कितनी खूब और कितनी लम्बी हुआ करती थीं) फिर आप चार रिकात इसी तरह पढ़ा करते थे, फिर तीन रिकात वित्र पढ़ा करते थे। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आइशा! मेरी आखें सोती हैं मेरा दिल नहीं सोता।

(वज़ाहत) याद रखें कि हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस हदीस का असल तअल्लुक़ नमाज़े तहज्जुद से है और तहज्जुद और तरावीह दो अलग अलग नमाजें हैं, यही जमहूर उलमा का मसलक है।

इस हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ की कैफियत बयान की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खूब लम्बे क़याम व रुकू व सज्दे वाली चार रिकात अदा करते थे फिर खूब लम्बे क़याम व रुकू व सज्दा अदा करते थे और फिर तीन रिकात वित्र पढ़ा करते थे। हदीस के अल्फाज़ से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि सवाल और जवाब का असल मक़सद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ की कैफियत को बयान करना है न कि तादादे रिकात को। बाज़ हज़रात ने तहज्जुद और तरावीह की नमाज़ को एक समझ कर हदीस में वारिद 11 में

आठ के लफ्ज़ को तरावीह के लिए ले लिया है लेकिन 11 रिकात पढ़ने की कैफियत और तीन रिकात वित्र को नज़र अंदाज़ कर दिया। अगर नमाज़े तहज्जुद और नमाज़े तरावीह एक ही नमाज़ है और तरावीह के आठ रिकात होने की यही हदीस दलील है तो चाहिए कि इस हदीस के तमाम अजज़ा पर अमल किया जाए और इसमें बयान करदा पूरी कैफियत के साथ नमाज़े तरावीह अदा की जाए या कम से कम उसके मसनून होने को बयान किया जाए मगर इस हदीस से सिर्फ आठ का लफ्ज़ तो ले लिया मगर आठ रिकात नमाज़ की कैफियत को छोड़ दिया, क्योंकि इसमें लम्बी लम्बी चार चार रिकात पढ़ने का ज़िक्र है और तीन रिकात वित्र का ज़िक्र है, नीज़ वित्र के लिए तीन के लफ्ज़ को छोड़ कर सिर्फ एक ही रिकात वित्र को अपनी सहूलत के लिए इख्तियार कर लिया। इस हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आठ रिकात पढ़ने के बाद सो जाते फिर वित्र पढ़ते थे, हालांकि रमज़ान के महीने में हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत से सारे हज़रात नमाज़े इशा के साथ तरावीह पढ़ने के फौरन बाद वित्र जमाअत के साथ पढ़ते हैं। बुखारी की इस हदीस के सिर्फ आठ के लफ्ज़ को लेकर बाकी तमाम उमूर छोड़ना यह हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस पर अमल करना नहीं हुआ, बल्कि अपने अस्लाफ के क़ुरान व हदीस फहमी पर किनाअत करना है और यही तक़लीद है, हालांकि बुखारी में ही हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की दूसरी हदीस है "अल्ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ 13 रिकात पढ़ते थे और जब फजर की अज़ान सुनते तो दो हल्की रिकात अदा करते (यानी फजर की सुन्नत)।" गौर फरमाएं कि 11 रिकात वाली

हदीस भी बुखारी में है और 13 रिकात वाली हदीस भी बुखारी में और दोनों हदीसें हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही मरवी हैं तो समझ में नहीं आता कि 11 रिकात वाली हदीस में से लफ्ज़ आठ को तो ले लिया और 13 रिकात वाली हदीस को बिल्कुल ही छोड़ दिया, हालांकि 13 रिकात वाली हदीस में "काना" का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो अरबी ज़बान में माज़ी इस्तिमरारी के लिए है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 13 रिकात पढ़ने का मामूल था। नमाज़े तहज्जुद और नमाज़े तरावीह को एक कहने वाले हज़रात क़ुरान व हदीस की रौशनी में दोनों अहादीस में ततबीक़ देने से क़ासिर हैं। जब पूछा जाता है कि हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की आठ रिकात वाली हदीस में तो चार चार रिकात पढ़ने का तज़किरा है लेकिन अमल दो दो रिकात पढ़ने का है तो जवाब में दूसरी हदीस का हवाला दिया जाता है जिसमें नमाज़े तहज्जुद को दो दो रिकात पढ़ने का तज़किरा है और वह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जो बुखारी ही (किताबुल वित्र) में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू से फारिग हो कर नमाज़े तहज्जुद पहले दो रिकात अदा की, फिर दो रिकात अदा की, फिर दो रिकात अदा की, फिर दो रिकात अदा की फिर दो रिकात अदा की, फिर दो रिकात अदा की, फिर वित्र पढ़े। बुखारी की इस हदीस से मालूम हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े वित्र के अलावा दो दो रिकात करके तहज्जुद की कुल बारह रिकातें अदा फरमाते। आठ रिकात तरावीह का मौक़िफ रखने वाले हज़रात के नज़दीक तरावीह और तहज्जुद एक ही नमाज़ है तो इन अहादीस में ततबीक़ की कोई सूरत नज़र नहीं आती। गरज़

ये कि हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पहली हदीस से आठ का लफ्ज़ लिया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस से दो दो रिकात पढ़ने को लिया तो न तो हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस पर अमल हुआ और न हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पर अमल हुआ, बल्कि अपने अस्लाफ की तक़लीद हुई, हालांकि यह तीनों अहादीस सही बुखारी की ही हैं। मालूम हुआ कि नमाज़े तरावीह और नमाज़े तहज्जुद को एक क़रार देना ही गलत है, क्योंकि इसका सबूत दलाइले शरईया से नहीं दिया जा सकता है। चारों अइम्मा मेंसे कोई भी दोनों नमाजों को एक क़रार देने का क़ायल नहीं है। इमाम बुखारी तो तरावीह के बाद तहज्जुद भी पढ़ा करते थे, इमाम बुखारी तरावीह जमाअत के साथ पढ़ा करते थे और हर रिकात में 20 आयतें पढ़ा करते थे और पूरे रमज़ान में तरावीह में सिर्फ एक खत्म करते थे, जबकि तहज्जुद की नमाज़ इमाम बुखारी तनहा पढ़ा करते थे और तहज्जुद में हर तीन रात में एक क़ुरान करीम खत्म किया करते थे। (इमाम बुखारी के इस अमल की तफसीलात पढ़ने के लिए सही बुखारी की सबसे मशहूर शरह "फतहुल बारी" के मुक़द्दमा का मुताला फरमाएं)।

बस बात सही यही है कि नमाज़े तरावीह और नमाज़े तहज्जुद दो अलग अलग नमाजें हैं, तहज्जुद की नमाज़ तो अल्लाह तआला के हुकुम से मुतअय्यन हुई है, सूरह मुज़्ज़म्मिल की इब्तिदाई आयात पढ़ लें, जबकि तरावीह का अमल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मशरू हुआ है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है "सननतु लहू कियामहू" (नसई, इब्ने

माजा) तरावीह का अमल मैंने मसनून क़रार दिया है। हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत में जमाअत के साथ 20 रिकात का बाक़ायदा एहतेमाम के साथ शुरू होना रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह है जैसा कि मुहद्दिसीन व उलमा के अक़वाल हवालों के साथ ऊपर लिखें जा चुके हैं, लिहाज़ा इस हक़ीक़त का इंकार करना सिर्फ और सिर्फ हठधर्मी है। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली हदीस का तअल्लुक़ तहज्जुद की नमाज़ से है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कम कभी ज़्यादा पढ़ा करते थे।

एक शुबहे का इज़ाला

बाज़ हज़रात ने (इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हिब्बान) में आई हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से साबित किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में आठ रिकात तरावीह पढ़ीं। हालांकि यह रिवायत इस कदर ज़ईफ व मुंकर है कि इससे इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक रावी ईसा बिन जारिया है जिसकी बाबत मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इसके पास मुंकर रिवायात हैं जैसा कि 8 रिकात तरावीह का मौक़िफ रखने वाले हज़रात ने दूसरे मसाइल में इस तरह के रावियों की रिवायात को तसलीम करने से मना किया है। इस क़िस्म की बहुत सी अहादीस हमारे पास मौज़ूद हैं जिसमें मज़कूर है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रिकात तरावीह पढ़ीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में जमाअत के साथ 20 रिकात और वित्र पढ़ते थे। (बैहक़ी जिल्द 1 पेज 496) इस हदीस को तबरानी ने कबीर में, इब्ने अदी ने मुसनद में और अल्लामा

बगवी ने मजमा सहाबा में ज़िक्र किया है) (ज़ुजाजतुल मसाबिह)। हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने इमाम राफई के वास्ते से नक़ल किया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को 20 रिकात दो रातें पढ़ाईं फिर तीसरी रात को लोग जमा हो गए, मगर आज बाहर तशरीफ नहीं लाए। फिर सुबह को फरमाया कि मुझे अंदेशा था कि यह तुम्हारे ऊपर फर्ज़ न हो जाए और तुम इसको अदा न कर सको, इसलिए बाहर नहीं आया।

दूसरे शुबहे का इज़ाला

बाज़ हज़रात ने एक रिवायत की बुनियाद पर लिखा है कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 11 रिकात तरावीह का हुकुम दिया था। हालांकि यह हदीस तीन तरह से मंकूल है और हदीस की सनद में शदीद ज़ोफ भी है, नीज़ हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 20 रिकात तरावीह पढ़ी गई, यह बात सूरज की रौशनी की तरह मुहद्दिसीन व अकाबरीने उम्मत ने तसलीम की है जैसा कि मुहद्दिसीन व उलमा के अक़वाल हवालों के साथ ऊपर ज़िक्र किए गए हैं लिहाज़ा इस हक़ीक़त का इंकार करना सिर्फ हठधर्मी है। इमा तिर्मिज़ी, इमाम गज़ाली, अल्लामा नववी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अल्लामा इब्ने क़ुदामा, अल्लामा इब्ने तैमिया और मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक़ हसन खान भोपाली ने भी वज़ाहत के साथ इस हक़ीक़त का एतेराफ किया है। मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलिम मुफ्ती मोहम्मद हुसैन बटालवी ने जब पहली दफा 1284 हिजरी में बाज़ाब्ता तौर पर फतवा जारी किया कि आठ रिकात तरावीह सुन्नत और 20 रिकात बिदअत है तो इस अनोखे फतवे की हर तरफ से मुखालफत की गई। मशहूर गैर मुक़ल्लिद

बुज़ुर्ग आलिम मौलाना इमाम रसूल साहब ने खुद इस फतवे की सख्त कलेमात में मज़म्मत की और इसको सीनाज़ोरी क़रार दिया। (रिसाला तरावीह पेज 28, 56)

तीसरे शुबहे का इजाला

कुछ हज़रात कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबए किराम के अक़वाल में अगर कोई तज़ाद हो तो सहाबा के अक़वाल को छोड़ कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल को लिया जाएगा। इसमें किसी का कोई इख्तेलाफ नहीं। अगर कोई इसमें शक भी करे तो उसे अपने ईमान की तजदीद करनी होगी, लेकिन यहां कोई तज़ाद नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल में कहीं भी तरावीह की कोई तादाद मज़कूर नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सहाबए किराम को हमसे ज़्यादा मोहब्बत थी और दीन में नई बात पैदा करने से सहाबा हमसे ज़्यादा डरने वाले थे।

खुसूसी तवज्जोह

सउदी अरब के नामवर आलिम, मस्जिदे नबवी के मशहूर मुदर्रिस और मदीना के (साबिक़) क़ाजी शैख अतिया मोहम्मद सालिम (जिनकी वफात 1999 ईसवी में हुई) ने नमाज़े तरावीह की 1400 साला तारीख पर अरबी ज़बान में एक मुस्तक़िल किताब लिखी है। किताब के मुक़द्दमा में तसनीफ का सबब बयान करते हुए लिखते हैं कि मस्जिदे नबवी में नमाज़े तरावीह हो रही होती है तो बाज़ लोग आठ रिकात पढ़कर ही रुक जाते हैं, उनका यह गुमान है कि आठ रिकात तरावीह पढ़ना बेहतर है और इससे ज़्यादा जाएज़ नहीं हैं, इस

तरह यह लोग मस्जिदे नबवी में बक़िया तरावीह के सवाब से महरूम रहते हैं। उनकी इस महरूमी को देख कर बहुत अफसोस होता है लिहाज़ा मैं यह किताब लिख रहा हूं ताकि उन लोगों के शक व शुबहात खत्म हों और उनको 20 रिकात तरावीह पढ़ने की तौफीक़ हो जाए। इस किताब में 1400 साला तारीख पर मुदल्लल बहस करने के बाद शैख अतिया मोहम्मद सालिम लिखते हैं इस तफसीली तजज़िये के बाद हम अपने क़ुर्रा से पहले तो यह पूछना चाहेंगे कि क्या एक हज़ार साल से ज़ायद इस तवील अरसे में किसी एक मौक़ पर भी यह साबित है कि मस्जिदे नबवी में मुस्तक़िल आठ रिकात तरावीह पढ़ी जाती थीं? या चलें 20 से कम तरावीह पढ़ना हीसाबित हो? बल्कि साबित तो यह है कि पूरे 1400 साला दौर में 20 रिकात या उससे ज़ायद ही पढ़ी जाती थीं। दूसरा सवाल यह है कि किसी सहाबी या माज़ी के किसी एक आलिम ने भी यह फतवा दिया कि 8 से ज़ायद तरावीह जाएज़ नहीं हैं और उसने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस को इस फतवे की बुनियाद बनाया हो?

खुलासा कलाम

तरावीह फर्ज़ नहीं है, लेकिन 20 रिकात पढ़ने में एहतियात है कि 8 रिकात 20 रिकात में दाखिल हैं और रमज़ान की रातों में इबादत करने की खास फज़ीलत अहादीस में आई हैं, नीज़ मज़कूरा अहादीस, मुत्तकफ़ अलैह मुहद्दिसीन और मोतबर उलमा के अक़वाल की रौशनी में 20 रिकात तरावीह का मौक़िफ ही ज़्यादा मज़बूत मालूम होता है।

तोहफए रमज़ान

रमज़ान क्या है?

रमज़ान का महीना क़मरी महीनों में नवां महीना है। इसकी वजे तस्मिया यह है कि रमज़ान रमज़ से मुश्तक़ है और रमज़ के लुगवी मानी जला देने के हैं। चूंकि इस महीना में अल्लाह तआला मुलसमानों को गुनाहों से पाक व साफ कर देता है इसलिए इसका नाम रमज़ान हुआ।

सौम (रोज़ा) के लफ्ज़ी मानी इमसाक यानी रुकने और बचने के हैं और इस्तिलाहे शरह में "तुलूए सुबह सादिक़ से लेकर गुरूबे आफताब तक रोज़े की नियत के साथ खाने पीने और औरत से मुबाशरत करने से रुकने" का नाम सौम है। नियत असल में दिल के इरादे का नाम है, लिहाज़ा ज़बान से रोज़े की नियत करना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता करलें तो बेहतर है।

रमज़ान और रोज़ा

अल्लाह तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है "**ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़ा फर्ज़ किया गया है जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फर्ज़ किया गया था ताकि तुम (रोज़ा की बदौलत रफ्ता रफ्ता) परहेज़गार बन जाओ।**" (सूरह बक़रह 183)

इस आयत में अल्लाह तआला ने रोज़े की फर्ज़ियत का हुक्म मुलसमानों को एक मिसाल से दिया है कि रोज़े की फर्ज़ियत सिर्फ तुम्हारे साथ खास नहीं बल्कि पिछली उम्मतों पर भी फर्ज़ किया गया था, इससे रोज़े की खास अहमियत मालूम हुई। "**"शायद तुम**

परहेज़गार बन जाओ" में इशारा है कि तक़वा की क़ुव्वत हासिल करने में रोज़े का बड़ा असर है, क्योंकि रोज़े से अपनी ख्वाहिशात को क़ाबू में रखने का एक मल्का पैदा होता है वही तक़वा की बुनियाद है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताआला फरमाता है "इंसान के हर (नेक) अमल का बदला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक दिया जाता है, लेकिन रोज़े का बदला मैं खुद ही अता करूंगा, क्यों वह मेरे लिए है।" दूसरी रिवायत के मुताबिक़ "मैं खुद ही रोज़े का बदला हूं।" इंसान खाने पीने और जिंसी शहवत से सिर्फ मेरी वजह से रुका रहता है। रोज़ेदार कोदो खुशियां मिलती हैं, एक (वक़्ती) इफतार के वक़्त और दूसरी (दायमी) अल्लाह तआला से मुलाक़ात के वक़्त। (बुखारी व मुस्लिम) गरज़ ये कि इस हदीसे क़ुदसी से मालूम हुआ कि अल्लाह ताआला रोज़े का बदला खुद ही अता फरमाएगा और इतना बदला देगा कि उसको शुमार भी नहीं किया जा सकता।

रमज़ान की अहमियत और उसकी फज़ीलत

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ के मुतअल्लिक़ मेरी उम्मत को खास तौर पर पांच चीजें दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिलीं।

1) रोज़ेदार की मुंह की बू (जो भूक की वजह से पैदा हो जाती है) अल्लाह तआला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है।

2) उनके लिए दरया की मछलियां तक दुआए मगफिरत करती हैं और इफतार तक करती रहती हैं।

3) जन्नत हर रोज उनके लिए सजाई जाती है।

4) इस मुबारक महीने में सरकश शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं।

5) रमज़ान के आखरी रात में रोजेदारों की मगफिरत कर दी जाति है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि क्या यह शबे मगफिरत शबे क़दर है तो नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं बल्कि दस्तूर यह है कि मज़दूर का काम खत्म होते ही उसे मज़दूरी देदी जाती है। (मुसनद अहमद, बज़्ज़ार, बैहक़ी, इब्ने हिब्बान)

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के हर शब व रोज में अल्लाह के यहां से जहन्नम के क़ैदी छोड़े जातहैं और हर मुसलमान की हर शब व रोज में एक दुआ ज़रूर क़बूल होती है। (बज़्ज़ार, अत्तरगीब वत्तरहीब)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन आदमियों की दुआ बेकार नहीं होती, एक रोज़ेदार की इफतार के वक़्त, दूसरे आदिल बादशाह की और तीसरे मज़लूम की। (मुसनद अहमद, तिर्मिज़ी, सही इब्ने हिब्बान)

हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिम्बर के क़रीब हो जाओ, हम लोग हाज़िर हो गए, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिम्बर के पहले दरजे पर क़दम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, जब दूसरे दरजे पर क़दम मुबारक

रखा तो फरमाया आमीन, जब तीसरे दरजे पर क़दम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब आप खुतबा से फारिग हो कर नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया कि हमने आज आप से मिम्बर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस वक़्त जिबरईल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दरजे पर मैंने क़दम रखा तो उन्होंनेकहा हलाक हो वह शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर भी उसकी मगफिरत न हुई, मैंने कहा आमीन। फिर जब दूसरे दरजे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वह शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्रे मुबारक हो और वह दरूद न भेजे, मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दरजे पर क़दम रखा तो उन्होंने कहा हलाक हो वह शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और वह उसको जन्नत में दाखिल न कराएं मैंने कहा आमीन। (बुखारी, सही इब्ने हिब्बान, मुसनद हाकिम, तिर्मिज़ी, बैहक़ी)

रमज़ान और क़ुरान करीम

क़ुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक से खास तअल्लुक़ और गहरी खुसूसियत हासिल है, चुनांचे रमज़ानुल मुबारक में इसका नाज़िल होना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान शरीफ में तिलावते क़ुरान का शुगुल निस्बतन ज़्यादा रखना, हज़रत जिबरइल अलैहिस्सलाम का रमज़ान शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुरान करीम का दौर कराना, तरावीह में खत्म क़ुरान का मसनून होना, सहाबा और बुज़ुर्गाने दीन का

रमज़ान में तिलावत का खास एहतेमाम करना यह सब उमूर इस खुसूसियत को बतलाते हैं, लिहाज़ा इस माह में कसरत से तिलावते क़ुरान करीम में मशगूल रहना चाहिए।
तिलावते क़ुरान पाक के साथ क़ुरान करीम को उलमा की सोहबत में रह कर समझ कर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे रोज़ाना एक ही आयत क्यों न हो, ताकि अल्लाह तआला के अहकाम से वाक़िफीयत के बाद उस पर अमल करना और उसको दूसरों तक पहुंचाना हमारे लिए आसान हो।

रमज़ान और तरावीह

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स रमज़ान (की रातों) में ईमान के साथ और सवाब की नियत से (इबादतके लिए) खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। (बुखारी व मुस्लिम)
नोट - तरावीह की तादादे रिकात में उलमा का इख्तेलाफ है, 20 या 8 रिकात। अलबत्ता यह बात सभी तसलीम करते हैं कि हरमैन (मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी) में हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से आज तक यानी 1400 साल से 20 रिकात तरावीह से कम नहीं पढ़ी गई जैसा कि मदीना के साबिक़ क़ाजी और मस्जिदे नबवी के मुदर्रिस शैख अतिया मोहम्मद सालिम ने अपनी किताब "अत्तरावीह अक्सरु मिन अल्फि आमिन फिल मस्जिदिन नबवी" में तफसील के साथ ज़िक्र किया है। नीज़ क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक़ हैं कि रमज़ान की

रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, लिहाज़ा 20रिकात ही का एहतेमाम करें तो ज़्यादा बेहतर है।

सेहरी

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुद हक़ ताला शानुहू और उसके फरिश्ते सेहरी खाने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं। (तबरानी, सही इब्ने हिब्बान) बहुत सी अहादीस में रात के आखरी वक़्त में सेहरी खाने की फज़ीलत आई है। एक दो लुक़मा खाने से भी सेहरी की फज़ीलत हासिल हो जाएगी, इंशा अल्लाह।

इफतार के लिए खजूर या पानी बेहतर है

हज़रत सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुममें से किसी का रोज़ा हो तो वह खजूर से रोज़ा इफतार करे, क्योंकि इसमें बरकत है। अगर खजूर न पाए तो फिर पानी ही से इफतार करे, इसलिए कि पानी निहायत पाकिज़ा चीज है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ से पहले चंद तर खजूरों से रोज़ा इफतार फरमाते थे अगर तर खजूरें बरवक़्त मौज़ूद न होतीं तो खुश्क खजूरों से इफतार फरमाते थे और अगर खुश्क खजूर भी न होती तो चंद घोंट पानी पी लेते थे। (अबू दाउद)

रोज़ा इफतार कराने का सवाब

हज़रत ज़ैद बिन खालिद अलजुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार को इफतार कराया तो उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा बेगैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी की जाए। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, सही इब्ने हिब्बान, मुसनद अहमद) हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि शाबान के महीने की आखरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और इसमें यह भी फरमाया जिस शख्स ने इस रमज़ान के महीने में किसी रोज़ेदार को (अल्लाह तआला की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए रोज़ा) इफतार कराया तो उसके लिए गुनाहों की मगफिरत और दोज़ख की आग से आज़ादी का ज़रिया होगा। और उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा बेगैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी की जाए। आपसे अर्ज़ किया गया कि या रसूलुल्लाह! हम में से हर एक का तो इफतार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी या सिर्फ पानी के एक घो से किसी रोज़ इफतार करादे। (बैहक़ी)

रमज़ान और शबे क़दर

रमज़ान की रातों में एक रात शबे क़दर कहलाती है जो बहुत ही खैर और बरकत की रात है जिसमें इबादत करने को क़ुरान करीम (सूरह क़दर) में हज़ार महीनों से अफज़ल बतलाया गया है। हज़ार महीनके

83 साल और 4 माह होते हैं, गोया इस रात की इबादत पूरी ज़िन्दगी की इबादत से बेहतर है। (सूरह क़द्र की तफसीर का खुलासा यह है)

बेशक हमने क़ुरान पाक को शबे क़दर में उतारा है यानी क़ुरान पाक को लौहे महफ़ूज़ से आसमाने दुनिया पर इस रात में उतारा है। आपको कुछ मालूम भी है कि शबे क़दर कैसी बड़ी चीज है यानी उस रात की बड़ाई और फज़ीलत का आपको इल्म भी है, कितनी खूबियां और किस क़द्र फज़ाइल इसमें हैं। इसके बाद चंद फज़ाइल का ज़िक्र फरमाते हैं। शबे क़दर हज़ार महीनों से बेहतर है, यानी हज़ारमहीनों तक इबादत करने का जितना सवाब है उससे ज़्यादा शबे क़दर की इबादत का है और कितना ज़्यादा है? यह अल्लाह ही को मालूम है। इस रात में फरिश्ते उतरते हैं। अपने परवरदिगार के हुकुम से हर खैर की मामला चीज़ें लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं और यह खैर व बरकत फजर के तुलू होने तक रहती है।

वज़ाहत - इख्तिलाफे मताले के सबब मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में शबे क़दर मुख्तलिफ रातों में हो तो इसमें कोई इश्काल नहीं, क्योंकि हर जगह के एतेबार से जो रात शबे क़दर क़रार पाएगी उस जगह उसी रात में शबे क़दर की बरकात हासिल होंगी इंशाअल्लाह।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स शबे क़दर में ईमान के साथ और सवाब की नियत से (इबादत के लिए) खड़ा हो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। (बुखारी व मुस्लिम) खड़े होने का मतलब नमाज़ पढ़ना, तिलावते क़ुरान और ज़िक्र वगैरह में मशगूल होना है। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि

शोहरत और दिखावे के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह के रज़ामंदी हासिल करने के लिए अमल किया जाए।

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो हज़ार महीनों से अफज़ल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारे ही खैर से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वह शख्स जो हक़ीक़तन महरूम ही है। (इब्ने माजा)

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शबे क़दर को रमज़ान के आखरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। (बुखारी) (मज़कूरा हदीस के मुताबिक़ शबे क़दर की तलाश 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रातों में करना चाहिए)

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूलुल्लाह अगर मुझे शबे क़दर का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगू? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पढ़ो “ऐ अल्लाह! बेशक तू माफ करने वाला है और पसंद करता है माफ करने को, पस माफ फरमा दे मुझे भी।“ (मुसनद अहमद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

रमज़ान और एतेकाफ

रमज़ान के आखरी अशरे का एतेकाफ सुन्नते मुअक्कदा अलल किफाया है, यानी अगर मोहल्ला की मस्जिद में एक दो आदमी

एतेकाफ कर लें तो पूरे मोहल्ले की तरफ से ज़िम्मेदारी अदा हो जाएगी। आखरी अशरे के एतेकाफ के लिए बीस रमज़ान को सूरज डूबने से पहले मस्जिद में दाखिल होना ज़रूरी है। एतेकाफ का असल मक़सद शबे क़दर की इबादत को हासिल करना जिसकी इबादत हज़ार महीनों की इबादत से अफज़ल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखरी अशरे का एतेकाफ फरमाया करते थे। एक साल पूरे माह रमज़ान का एतेकाफ फरमाया, जबकि आखरी रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रोज का एतेकाफ फरमाया।

रमज़ान का एहतेमाम न करने वालों के लिए

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने (शरई) इजाज़त और मर्ज़ (की मजबूरी) के बेगैर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, (अगर वह सारी) उम्र (भी) रोजे रखे तब भी उसकी फज़ीलत हासिल नहीं हो सकती है। (मुसनद अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाउद)
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़ा के समरात में बजुज़ भूका रहने के कुछ भी हासिल नहीं और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने (की मशक़्क़त) के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। (इब्ने माजा, नसई)

इस मुबारक माह में दर्जे ज़ैल आमाल का खास एहतेमाम करना चाहिए।

— फर्ज़ नमाजों का एहतेमाम।

— दिन में रोज़ा रखना।

— नमाज़े तरावीह की अदाएगी।

— क़ुरान करीम की तिलावत का एहतेमाम।

— अगर माल में ज़कात वाजिब है तो उसका हिसाब लगा कर ज़कात की अदाएगी क्योंकि रमज़ान में सत्तर गुना ज़्यादा सवाब मिलता है।

— हस्बे सहूलत उमरह की अदाएगी, क्योंकि रमज़ान में उमरह की अदाएगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। (हदीस)।

— सुन्नत और नफल नमाजों की पाबन्दी।

— नमाज़े तहज्जुद की अदाएगी, खास कर आखरी अशरे में।

— रमज़ान के आखरी अशरे में एतेकाफ अगर सहूलत से मुमकिन हो।

— दुआओं का एहतेमाम।

— अल्लाह का ज़िक्र और दूसरे नेक आमाल की अदाएगी।

— दूसरों को भी नेक आमाल की तरगीब देना।

— गुनाहों से बचना और दूसरों को भी हिकमत के साथ मना करना।

— रमज़ान के आखिर या ईदुल फित्र की सुबह सदक़ए फित्र की अदायगी।

रोज़ा से मुतअल्लिक़ चंद अहम मसाइल

— हैज़ उस खून का नाम जो औरतों को आम तौर पर हर माह कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन आता है।

— निफास उस खून का नाम है जो औरत को बच्चे की पैदाइश के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक आता है।

— इन दोनों हालतों में औरत रोज़ा नहीं रख सकती है, बल्कि उसको रमज़ान के बाद इन दोनों हालतों में छूटे हुए रोजों की कज़ा करनी होगी, रोज़ा का फिदया देना काफी नहीं होगा।

— नमाज़ और रोजों में थोड़ा फर्क़ है कि इन दोनों हालतों में औरत के लिए नमाज़ बिल्कुल ही माफ है, यानी नमाज़ की कोई कज़ा भी नहीं है, लेकिन रमज़ान के रोज़े की बाद में कज़ा है।

— इन दोनों हालतों में औरत क़ुरान की तिलावत भी नहीं कर सकती, अलबत्ता अल्लाह का ज़िक्र कर सकती है।

— हैज़ व निफास का खून शुरू हो जाने से रोज़ा फासिद हो जाता है, यानी रोज़ा रखने के बाद अगर किसी औरत को माहवारी आ जाए तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, मगर औरत के लिए मुस्तहब यह है कि शाम तक रोजेदारों की तरह खाने पीने से रुकी रहे।

— अगर कोई औरत दिन में किसी वक़्त हैज़ व निफास से पाक हो जाए तो उसके लिए भी मुस्तहब यही है कि शाम तक खाने पीने से परहेज़ करे, अलबत्ता गुस्ल से फारिग हो जाए ताकि अगले दिन से रोज़ा शुरू करे।

— हैज़ व निफास वाली औरत अगर रमज़ान में सेहरी का वक़्त खत्म होने से पहले पाक हो गई तो उस पर रोज़ा रखना ज़रूरी है, अगरचे वह सेहरी का वक़्त खत्म होने के बाद ही गुस्ल करे।

— बाज़ औरतें रमज़ान में आरज़ी तौर पर माहवारी रोकने वाली दवाएं इस्तेमाल करती हैं, ताकि रमज़ान में रोजे रखती रहें बाद में कज़ा की दुशवारी न आए तो शरई एतेबार से ऐसी दवाएं इस्तेमाल करने की गुंजाइश है।

— निफास का खून अगर 40 दिन से कम मसलन 20 या 30 दिन में बन्द हो जाए तो औरत को चाहिए कि गुस्ल करके नमाज़ और रोज़ा शुरू कर दे। 40 दिन का इतिंजार करना गलत है, अलबत्ता अगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है तो रोज़ा न रखे।

— रोज़ा की हालत में औरत के लबों पर सुर्खी लगाने से रोज़ा में कोई खराबी नहीं आती, लेकिन अगर मुंह के अंदर पहुंचने का डर हो तो मकरूह है।

— बीवी के साथ बोस व किनार करने में सिर्फ चंद क़तरे निकल जाएं तो उससे रोज़ा में कोई खराबी नहीं आती, लेकिन बेहतरयही है कि रोज़े की हालत में बीवी से बोस व किनार होने से बचें।

— रोज़ा में बीवी से बाक़ादा हमबिस्तरी नहीं की है, बल्कि सिर्फ बोस व किनार होने या लेटने की वजह से इंज़ाल हो जाए तो रोज़ा खराब हो जाएगा। अल्लाह तआला से तौबा व इस्तिगफार के साथ एक रोज़े की कज़ा करनी होगी। (याद रहे कि रमज़ान के एक रोज़े की फज़ीलत पूरे साल रोज़ा रख कर भी हासिल नहीं की जा सकती है)।

— अगर रमज़ान के रोजे की हालत में बाक़ायदा सोहबत करली तो दोनों मियां बीवी पर एक एक रोज़े की कज़ा के साथ हर एक को मुसलसल 60 दिन के रोज़े रखने होंगे, रोज़े की ताकत न होने की सूरत में हर एक को 60 मिसकीनों को खाना खिलाना पड़ेगा।

— हमल की वजह से अगर रोज़ा रखना दुशवार हो तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है लेकिन रमज़ान के बाद छूटे हुए रोजों की कज़ा करनी होगी। रोजों का फिदया देना काफी नहीं होगा।

— अगर किसी औरत या मर्द के ज़िम्मे गुस्ल करना वाजिब है और सेहरी का वक़्त हो गया तो को कई हर्ज नहीं। सेहरी का वक़्त खत्म होने के बाद भी गुस्ल किया जा सकता है। उससे रोज़ा पर कोई फर्क़ नहीं पड़ता।

— रोज़े की हालत में सोते हुए अगर एहतेलाम हो जाए तो रोज़े में कोई खराबी नहीं आती, रोज़ा बदस्तुर बाकी रहता है, अलबत्ता गुस्ल करना वाजिब है।

— ऐसा मरीज़ जिसको रोज़ा रखने से नाक़ाबिले बर्दाशत तकलीफ पहुंचे या मर्ज़ बढ़ जाने का क़वी अंदेशा हो या वह शरई मुसाफिर है तो उसको रोज़ा न रखने की इजाज़त है, मगर उसको अपने छूटे हुए रोजों की दूसरे दिनों में कज़ा करना ज़रूरी है, चाहे मुसलसल करे या जुदा जुदा तौर पर।

— जो लोग किसी वजह से रोज़ा रखने से माज़ूर हों उनके लिए भी ज़रूरी है कि रमज़ान में खुल्लम खुल्ला खाने पीने से बचें और बज़ाहिर रोजेदारों की तरह रहें।

— जिन लोगों पर रोज़ा फर्ज़ है फिर किसी वजह से उनका रोज़ा फासिद हो जाए तो उन पर वाजिब है कि दिन के बाक़ी हिस्से में रोजेदारों की तरह रहें और खाने पीने और जिंसी अफआल से परेहज़ करें।

— भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है।

— खुद बखुद बिला इरादा क़ै हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता है।

खुलासए कलाम

मेरे अज़ीज़ भाईयों! हमारे बाज़ दोस्त व अहबाब व मुतअल्लिक़ीन पिछले रमज़ान में ज़िन्दा थे, उन्होंने हमारे साथ रमज़ान के रोज़ा रखे, तरावीह पढ़ीं, लेकिन अब दुनियावी ज़िन्दगी को अलविदा कह चुके हैं, आइंदा रमज़ान तक कौन ज़िन्दा रहेगा ये अल्लाह तआलाही ज़्यादा जानने वाला है, लिहाज़ा इस मुबारक महीने के एक एक लम्हे की कदर करें, वक़्त को यूंही बरबाद न करें। दिन में रोज़ा रखें, रातों में तरावीह और तहज्जुद पढ़ें, क़ुरआन करीम की तिलावत का खास एहतेमाम रखें क्योंकि इस महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और अहले इस्लाम के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बन्द और शयातीन को ज़ंजीरों में क़ैद कर दिया जाता है, हर रोज फरिश्तों के ज़रियेआवाज़ लगवाई जाती है कि ऐ तालिबे खैर! समने आ और मुतवज्जेह हो, ऐ तालिबे शर! बस कर गुनाहों से, ताएब होकर इताअत और नेकी के ज़िन्दगी को इख्तियार कर।

रमज़ान और रोज़े से मुतअल्लिक़ चंद सवालात के जवाबात

1) मेरे दोस्त के यहां एक साहब तशरीफ लाए और कहा कि इफतार और सेहरी की दुआएं और नियत के अल्फाज़ इंडिया और पाकिस्तान मेड हैं, वज़ाहत फरमा दें।
2) उन्होंने कहा कि औरतों का एतेकाफ सिर्फ मस्जिद में होता, है क्यूंकि एतेकाफ के लिए उम्महातुल मोमेनीन के खेमे मस्जिद नबवी में लगाए गए थे।
3) उन्होंने कहा कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु को 11 रिकात तरावीह पढ़ाने का हुकुम दिया था। इसकी क्या हक़ीक़त है?
क़ुरान व हदीस की रौशनी में जवाब अर्ज़ है।

रोज़ा की नियत

क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि रोज़ा के लिए नियत ज़रूरी है। नियत असल में दिल के इरादे का नाम है और ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स ज़बान से भी नियत करले तो बेहतर व अफज़ल है। रोज़ा की नियत के लिए कोई भी अल्फाज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंकूल नहीं हैं, यानी इंसान अरबी ज़बान या जिस ज़बान में चाहे रोज़ा की नियत कर सकता है। अगर कोई शख्स अरबी ज़बान में नियत करना चाहे तो उसके लिए क्या अल्फाज़ हों तोबाज़ उलमा ने लोगों की सहूलत के लिए यह अल्फाज़ लिखे हैं "मैं कल रमज़ान का रोज़ा रखूंगा" किसी भी ज़बान में रोज़े की नियत की जा

सकती है, लेकिन आज तक किसी आलिम या फक़ीह ने नहीं कहा कि इन अल्फाज़ के साथ रोज़े की नियत करना सुन्नत है। जिस तरह दुनिया की किसी ज़बान में भी रोज़े की नियत की जा सकती है इसी तरह इन कलेमात के साथ भी नियत की जा सकती है। बाज़ हज़रात ने उम्मते मुस्लिमा में फूट डालने के लिए इन्हीं कलेमात पर अपनी सलाहियतें लगानी शुरू कर दी हैं। याद रहे कि किसी भी अमले सालेह के लिए नियत के अल्फाज़ ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है बल्कि नियत दर हक़ीक़त दिल के इरादा का नाम है।

इफतार के वक़्त दुआ

इफतार के वक़्त चंद दुआएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जिनमें से दो दुआएं एक एक हवाला के साथ मज़कूर हैं।

“अल्लाहुम्मा लक सुमतु व अला रिज़्क़िका अफतरतु” (सुनन अबू दाउद)

“ज़हबज़ ज़मउ आखिर तक” (सुनन अबू दाउद) गरज़ ये कि यह दोनों दुआएं एक साथ या दोनों में से कोई एक या इस मौक़े पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा कोई दूसरी दुआ मांगी जा सकती है।

औरतों का एतेकाफ

उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि मर्द हज़रात की तरह औरतें भी एतेकाफ कर सकती हैं और अगर औरत मस्जिद में एतेकाफ करे तो भी उसका एतेकाफ सही हो जाएगा, मगर औरतों के लिए मस्जिद में

एतेकाफ करना बेहतर है या अपने घर के उस खास जगह पर जो आम तौर पर नमाज़ वगैरह के लिए मखसूस कर ली जाती है। इस सिलसिले में उलमा की रायें मुख्तलिफ हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफा और दूसरे उलमा-ए-किराम ने फरमाया कि औरतों के एतेकाफ के लिए मस्जिद के बजाए घर की वह खास जगह जो आम तौर पर नमाज़ वगैरह के लिए मखसूस कर ली जाती है ज़्यादा बेहतर है। इसके बहुत से दलाइल हैं, मगर इख्तिसार के मद्देनज़र सिर्फ सही बुखारी की एक हदीस पेशे खिदमत है।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एतेकाफ करते थे। मैं आपके लिए (मस्जिद में) एक खेमा लगा देती और सुबह की नमाज़ पढ़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें चले जाते। फिर हज़रत हफसा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से खेमा लगाने की (अपने एतेकाफ के लिए) इजाज़त चाही। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इजाज़त दे दी और उन्होंने एक खीमा लगा लिया। जब हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा तो उन्होंने भी (अपने लिए) एक और खेमा लगा लिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई खेमे देखे। दरयाफ्त फरमाया यह क्या है? चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को (हक़ीक़त हाल की) इत्तिला दी गई। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे वह अपने लिए नेक अमल समझ बैठी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीना (रमज़ान) का एतेकाफ छोड़ दिया और शव्वाल के आखिरी

अशरा का एतेकाफ किया। (सही बुखारी) सही बुखारी हदीस नम्बर 1897 में भी तक़रीबन यही बात मज़कूर है।

गरज़ ये कि इस हदीस से मालूम हुआ कि उम्महातुल मोमेनीन के मस्जिद में एतेकाफ करने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नाराज़गी का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया कि उसे वह अपने लिए नेक अमल समझ बैठी हैं। नीज़ पूरी दुनिया में अमली तौर पर औरतें मस्जिदों में एतेकाफ नहीं कर पातीं, यहां तक कि सउदी अरब में भी औरतें आम मसाजिद में एतेकाफ नहीं कर पातीं चेजाएकि हिन्द व पाक की सरज़मीन में इसकी उम्मीद की जाए। सिर्फ चंद हज़रात लोगों के दरमियान फूट डाले के लिए इस मौज़ू पर गुफतगू करते हैं है, अब या तो औरतों के लिए एतेकाफ ही खत्म कर दिया जाए या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मद्देनज़र घर की मखसूस जगह पर एतेकाफ की इजाज़त दी जाए। हुज़ूर अकरम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से अक़वाल के पेशे नज़र पूरी उम्मते मुस्लिमा इस बात पर मुत्तफिक़ है कि औरतों की घर की नमाज़ मस्जिद में अदा की गई नमाज़ से अफज़ल व बेहतर है। जो हज़रात घरों में औरतों के एतेकाफ करने को मना करते हैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि घरों में एतेकाफ करने वाली औरतों को एतेकाफ करने से न रोको, बल्कि अपनी माओं और बहनों को आम मस्जिदों में एतेकाफ कराओ और फिर जो नतीजा सामने आए सच्चाई के साथ उम्मत के सामने बयान कर दो। पूरी दुनिया का मुशाहदा है कि जो हज़रात औरतों के एतेकाफ के लिए मसाजिद को लाज़िम क़रार देते हैं उनकी मसाजिद

में औरतें तो दरकिनार मर्द हज़रात भी आम तौर पर एतेकाफ नहीं करते, गोया सलाहियतें गलत जगह पर लगने की वजह से मकसूद व मतलूब ही छूट गया।

रिकाते तरावीह

जहां तक रिकाते तरावीह का तअल्लुक़ है तो फर्ज़ ना होने की वजह से इसमें गुंजाईश ज़रूर है मगर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बाकादा तौर बीस रिकात तरावीह अदा हुई हैं, यह ऐसी हक़ीक़त है कि बड़े बड़े अहले हदीस (गैर मुक़ल्लिद) उलमा भी इसका इंकार नहीं कर सके, तफसीलात के लिए तरावीह से मुतअल्लिक़ मेरा मज़मून पढ़ें।

रमज़ानुल मुबारक के महीने का आखिरी अशरा

शबे क़दर की इबादत

रमज़ान की रातों में एक रात शबे क़दर कहलाती है जो बहुत ही खैर व बरकत वाली रात है और जिसमें इबादत करने को क़ुरान करीम (सूरह क़दर) में हज़ार महीनों से अफज़ल बतलाया गया है। हज़ार महीनों के 83 साल और 4 महीने होते हैं, गोया इस रात की इबादत पूरी ज़िन्दगी की इबादत से ज़्यादा बेहतर है और हज़ार महीना से कितना ज़्यादा है? यह सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मालूम होता है कि यह रात रमज़ान के आखिरी अशरा (दस दिन) में होती है, लिहाज़ा इस आखिरी अशरे का एक लम्हा भी बरबाद न होने दें। पांचों नमाजों को जमाअत से पढ़ने का एहतेमाम करें, दिन में रोज़ा रखें, रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारें, तरावीह और तहज्जुद का एहतेमाम करें, अल्लाह तआला का ज़िक्र करें, अपने और उम्मते मुस्लिमा के लिए दुआएं करें, क़ुरान करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। शबे क़दर की अहमियत व फज़ीलत के मुताअल्लिक़ खालिक़े कायनात का इरशाद है।

बेशक हमने क़ुरान पाक को शबे क़दर में उतारा है यानी क़ुरान करीम को लौहे महफ़ूज़ से आसमाने दुनिया पर इस रात में उतारा है। आपको कुछ मालूम है कि शबे क़दर कैसी बड़ी चीज़ है, यानी इस रात की बड़ाई और फज़ीलत का आपको इल्म भी है, कितनी

खूबियां और किस क़दर फज़ाइल इसमें हैं। इसके बाद चंद फज़ाइल का ज़िक्र फरमाते हैं, शबे क़दर हज़ार महीनों से बेहतर है यानीहज़ार महीनों तक इबादत करने का जितना सवाब है उससे ज़्यादा शबे क़दर की इबादत का है और कितना ज़्यादा है? यह अल्लाह ही को मालूम है। इस रात फरिशते और हज़रत जिबरइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं। अपने परवरदिगार के हुकुम से हर अच्छे मामले को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं और खैर व बरकत फजर के वक़्त से सूरज के निकलने तक रहती है।

सूरह अलक की इब्तिदाई चंद आयात "पढ़ो अपने उस परवरदिगार के नाम से आखिर तक" से कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज हुआ। उसके बाद आने वाली सूरह क़दर में बयान किया कि यह कुरान करीम रमज़ान के बाबरकत रात में उतरा है जैसा कि सूरह दुखान की आयत 3 "हमने एक मुबारक रात में कुरान करीम को उतारा है" और सूरह बक़रह की आयत 185 "रमज़ान के महीना में कुरान करीम नाज़िल हुआ है" में यह मज़मून सराहत के साथ मौजूद है।

शबे क़दर के दो मानी हैं और दोनों ही यहां मकसूद हैं। एक यह कि वह रात है जिसमें तकदीरों के फैसले किए जाते हैं जैसा किसूरह दुखान आयत 4 में है "इसी रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है" दूसरे मानी यह है कि बड़ी क़दर व मंजिलत और अज़मत व शरफ रखने वाली रात है।

इस रात में क़ुरान करीम के नाज़िल होने का मतलब लौहे महफ़ूज़ से आसमाने दुनिया पर उतरना है या उस रात में पूरा क़ुरान करीम हामिले वह़ी फरिशतों के हवाला किया जाना मुराद है या यह मतलब है कि क़ुरान करीम के नुज़ूल की इब्तिदा इस रात में हुई और फिर वाक़यात और हालात के मुताबिक़ थोड़े थोड़े वक़्त में 23 साल के अरसे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ।

शबे क़दर की फज़ीलत व अहमियत के मुतअल्लिक़ कई हदीसें अहादीस की किताबों में मौजूद हैं यहां इख्तिसार की वजह से चंद अहादीस ज़िक्र कर रहा हूं अल्लाह तआला हम सबको अमल करने वाला बनाए, आमीन।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स शबे क़दर में ईमान के साथ और सवाब की नियत से (इबादत के लिए) खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। (बुखारी व मुस्लिम) खड़े होने का मतलब नमाज़ पढ़ना, तिलावते क़ुरान और ज़िक्र वगैरह में मशगूल होना है। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि शोहरत और दिखावे के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अमल करना है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो हज़ार महीनों से अफज़ल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारे ही

खैर से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वह शख्स जो हक़ीक़तन महरूम ही है। (इब्ने माजा)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शबे क़दर को रमज़ान के अखीर अशरे की ताक़ रातों में तलाश किया करो। (बुखारी) (मज़कूरा हदीस के मुताबिक़ शबे क़दर की तलाश 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29 वीं रातों में करनी चाहिए)।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह अगर मुझे शबे क़दर का पता चल जाये तो क्या दुआ मांगू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ पढ़ो या अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है तो मुझे भी माफ फरमादे।

शबे क़दर की दो अहम अलामतें

शबे क़दर की दो अहम अलामतें अहादीस की किताबों में मज़कूर हैं, एक यह कि रात न बहुत ज़्यादा गर्म और न बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और दूसरी अलामत यह है कि शबे क़दर के बाद सुबह को सूरज के निकलने के वक़्त सूरज की किरनें नहीं होती हैं।

नोट - इख्तिलाफे मताले के सबब मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में शबे क़दर मुख्तलिफ दिनों में हो तो इसमें कोई इशकाल नहीं, क्यूंकि

हर जगह के एतेबार से जो रात शबे क़दर क़रार पाएगी उस जगह उसी रात में शबे क़दर की बरकात हासिल होगी, इंशाअल्लाह।

एतेकाफ

सवाब की नियत से मस्जिद में ठहरने को एतेकाफ कहा जाता है। एतेकाफ में इंसान दुनियावी कामों को छोड़ कर अल्लाह तआला के दर यानी मस्जिद का रुख़ करता है। पूरी तवज्जोह के साथ इबादत में मशगूल रहने से अल्लाह तआला के साथ जो खास तअल्लुक़ और क़ुरबत पैदा होती है वह तमाम इबादतों में एक निराली शान रखती है।

मसनून एतेकाफ

यह रमज़ान के आखिरी अशरा का एतेकाफ है जो सुन्नत अलल किफाया है, यानी मुहल्ला में अगर एक शख्स भी एतेकाफ करले तो सबके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा, वरना सब छोड़ने की वजह से गुनाहगार होंगे। रमज़ानुल मुबारक की बीस तारीख को सूरज डूबने से कुछ पहले एतेकाफ शुरू किया जाता है और ईद का चांद नज़र आने तक जारी रहता है। इस एतेकाफ के ज़रिया अल्लाह तआला से क़ुरबत के साथ शबे क़दर की इबादत हासिल हो जाती है जिसमें इबादत करना अल्लाह तआला के फरमान के मुताबिक़ हज़ार महीनों यानी 83 साल की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। 2 हिजरी में रोज़ा की फर्ज़ियत के बाद से वफात तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रमज़ान में एतेकाफ फरमाया।

वाजिब एतेकाफ

यह नज़र मानने की वजह से लाज़िम होता है, मसलन कोई शख्स कहे कि अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं इतने दिन का एतेकाफ करूंगा। नज़र के लिए रोज़ा के साथ कम से कम एक दिन का एतेकाफ ज़रूरी होता है।

मुस्तहब एतेकाफ

जब भी आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो यह नियत करले कि जब तक मैं इस मस्जिद में रहूं एतेकाफ की नियत करता हूं। इस एतेकाफ में वक़्त और रोज़े की कोई पाबन्दी नहीं है। मस्जिद से निकलने पर एतेकाफ खत्म हो जाता है।

मसनून एतेकाफ से मुतअल्लिक़ बाज़ अहादीसे नबविया

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले अशरे में एतेकाफ फरमाया और फिर दूसरे अशरे में भी फिर खेमे से जिसमें एतेकाफ फरमा रहे थे बाहर सर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे का एतेकाफ शबे क़दर की तलाश और एहतेमाम की वजह से किया था फिर इसी की वजह से दूसरे अशरा में किया फिर मुझे किसी (फरिश्ता) ने बताया कि वह रात आखिरी अशरे में है लिहाज़ा जो लोग मेरे साथ एतेकाफ कर रहे हैं वह आखिरी अशरेका भी एतेकाफ करें। (बुखारी व मुस्लिम)

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतेकाफ

फरमाते थे, वफात तक आपका यह मामूल रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाजे मुतहहरात एहतेमाम से एतेकाफ करती रहीं। (बुखारी व मुस्लिम)
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान के आखिरी अशरे में एतेकाफ फरमाते थे, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीस दिन का एतेकाफ फरमाया। (बुखारी)
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतेकाफ करने वाले के लिए फरमाया कि वह (एतेकाफ की वजह से मस्जिद में मुक़य्यद हो जाने की वजह से) गुनाहों से बचता रहता है और इसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती है जितनी करने वाले के लिए (यानी एतेकाफ करने वाला बहुत से नेक आमाल मसलन जनाज़ा में शिर्कत, मरीज़ की अयादत वगैरह से एतेकाफ की वजह से रुका रहता है, इन आमाल का अज्र व सवाब एतेकाफ करने वाले को किए बेगैर भी मिलता रहता है।) (इब्ने माजा)

औरतों का एतेकाफ

उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि मर्द हज़रात की तरह औरतें भी एतेकाफ कर सकती हैं और अगर औरत मस्जिद में एतेकाफ करे तो भी उसका एतेकाफ सही हो जाएगा, मगर हज़रत इमाम अबू हनीफा और दूसरे उलमा-ए-किराम ने फरमाया कि औरतों के एतेकाफ के लिए मस्जिद के बजाए घर की वह खास जगह जो आम तौर पर

नमाज़ वगैरह के लिए मखसूस कर ली जाती है ज़्यादा बेहतर है। इसके बहुत से दलाइल हैं मगर इख्तिसार के मद्देनज़र सिर्फ सही बुखारी की एक हदीस पेशे खिदमत है।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में एतेकाफ करते थे। मैं आपके लिए (मस्जिद में) एक खेमा लगा देती और सुबह की नमाज़ पढ़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें चले जाते। फिर हज़रत हफसा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से खेमा लगाने की (अपने एतेकाफ के लिए) इजाज़त चाही। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इजाज़त देदी और उन्होंने एक खीमा लगा लिया। जब हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा तो उन्होंने भी (अपने लिए) एक और खेमा लगा लिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई खेमे देखे। दरयाफ्त फरमाया यह क्या है? चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को (हक़ीक़ते हाल की) इत्तिला दी गई। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे वह अपने लिए नेक अमल समझ बैठी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीना (रमज़ान) का एतेकाफ छोड़ दिया और शव्वाल के आखिरी अशरा का एतेकाफ किया। (सही बुखारी)

गरज़ ये कि उम्महातुल मोमेनीन के मस्जिद में इस तरह एतेकाफ करने को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया।

एतेकाफ के बाज़ अहम मसाइल व अहकाम

मोतकिफ को बिला ज़रूरते शरइया व तबइया एतेकाफ वाली मस्जिद से बाहर निकलना जाएज़ नहीं है।

मोतकिफ के मुतअल्लेक़ीन में से कोई सख्त बीमार हो जाए या किसी की वफात हो जाए या कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए या मोतकिफ खुद ही सख्त बीमार हो जाए या उसकी जान व माल को खतरे में पड़ जाए तो मोतकिफ के मस्जिद से चले जाने से एतेकाफ टूट जाएगा लेकिन ऐसी मजबूरी में चले जाने से गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह। अलबत्ता बाद में कज़ा कर लेनी चाहिए।

सदक़ए फित्र के अहकाम व मसाइल

ज़कात की दो क़िस्में हैं, ज़कातुल माल यानी माल की ज़कात जो माल की एक खास मिक़दार पर फर्ज़ है। जकातुल फित्र यानी बदन की ज़कात, इसको सदक़ए फित्र कहा जाता है।

सदक़ए फित्र क्या है?

फित्र के मानी रोज़ा खोलने या रोज़ा न रखने के हैं। शरई इस्तिलाह में उस सदक़े का नाम सदक़ए फित्र है जो रमज़ान के महीने के खत्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिये के तौर पर अदा किया जाता है नीज़, सदक़ए फित्र रमज़ान की कोताहियों और गलतियों का कफ्फारा भी बनता है जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "सदक़ए फित्र रोज़ेदारों की बेकार बात और फहश गोई से रोज़े को पाक करने के लिए और मसाकिन को खाना खिलाने के लिए मुक़र्रर किया गया है।" (अबू दाउद, इब्ने माजा)

सदक़ए फित्र मुक़र्रर होने की वजह

ईदुल फित्र में सदक़ा इस वास्ते मुक़र्रर किया गया है कि इसमें रोज़ेदारों के लिए गुनाहों से पाकीज़गी और उनके रोज़ों की तकमील है। नीज़ मालदारों के घरों में उस रोज़ ईद होती है, मुख्तलिफ क़िस्म के पकवान पकते हैं, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, जबकि गरीबों के घरों में बवजहे गुर्बत इसी तरह रोज़े की शकल मौजूद होती है,

लिहाज़ा अल्लाह तआला ने मालदारों और अच्छे खाते पीते लोगों पर लाज़िम ठहराया कि गरीबों को ईद से पहले सदक़ए फित्र देदें ताकि वह भी खुशियों में शरीक हो सकें , वह भी अच्छा खा पी सकें और अच्छा पहन सकें ।

सदक़ए फित्र का वुजूब

बहुत से अहादीस से सदक़ए फित्र का वुजूब साबित है, इख्तिसार के मद्देनज़र तीन अहादीस पर इकतिफा कर रहा हूं।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ए फित्र मुसलमानों पर वाजिब क़रार दिया है खाह वह गुलाम हो या आज़ाद, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा। (बुखारी व मुस्लिम)
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिर में इरशाद फरमाया कि अपने रोज़ों का सदक़ा निकालो। (अबू दाउद)
इसी तरह हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की गलियों में एक मुनादी को एलान करने के लिए भेजा कि सदक़ए फित्र हर मुसलमान पर वाजिब है खाह मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या गुलाम, छोटा हो या बड़ा। (तिर्मिज़ी)

सदक़ए फित्र किस पर वाजिब है

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की रौशनी में इमाम अबू हनीफा की राय के मुताबिक़ जो मुसलमान इतना मालदार हो कि ज़रूरियात से ज़ायद उसके पास उतनी क़ीमत का माल व

असबाब मौज़ूद हो जितनी क़ीमत पर ज़कात वाजिब होती है तो उस पर ईदुल फित्र के दिन सदक़ए फित्र वाजिब होगा, चाहे वह माल व असबाब तिजारत के लिए हो या न हो, चाहे उस पर साल गुज़रे या नहीं। गरज़ ये कि सदक़ए फित्र के वुजूब के लिए ज़कात के फर्ज़ होने की तमाम शराएत का पाया जाना ज़रूरी नहीं है। दूसरे उलमा के नज़दीक सदक़ए फित्र के वुजूब के लिए निसाबे ज़कात का मालिक होना भी शर्त नहीं है, यानी जिसके पास एक दिन और एक रातसे ज़ायद की खुराक अपने और ज़ेरे किफालत लोगों के लिए हो तो वह अपनी तरफ से और अपने अहल व अयाल की तरफ से सदक़ए फित्र अदा करे।

सदक़ए फित्र के वाजिब होने का वक़्त

ईदुल फित्र के दिन सुबह होते ही यह सदक़ा वाजिब हो जाता है, लिहाज़ा जो शख्स सुबह होने से पहले ही इंतिक़ाल कर गया तो उस पर सदक़ए फित्र वाजिब नहीं हुआ और जो बच्चा सुबह से पहले पैदा हुआ तो उसकी तरफ से भी सदक़ए फित्र अदा किया जाएगा।

सदक़ए फित्र की अदाएगी का वक़्त

सदक़ए फित्र की अदाएगी का असल वक़्त ईदुल फित्र के दिन नमाज़े ईद से पहले है, अलबत्ता रमज़ान के आखिर में किसी भी वक़्त अदा किया जा सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकुम दिया कि सदक़ए फित्र नमाज़ के लिए जाने से पहले अदा कर दिया जाए। (बुखारी व मुस्लिम) हज़रत नाफे रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत

है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर के छोटे बड़े तमाम अफराद की तरफ से सदक़ए फित्र देते थे, हत्ताकि मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे और ईदुल फित्र से एक या दो दिन पहले ही अदा कर देते थे। (बुखारी)

नमाज़े ईदुल फित्र की अदाएगी तक सदक़ए फित्र अदा न करने की सूरत में नमाज़े ईद के बाद भी कज़ा के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन ताखीर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्यूंकि इससे सदक़ए फित्र का मक़सूद व मतलूब ही खसम हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस के अल्फाज़ हैं कि जिसने इसे नमाज़े ईद से पहले अदा कर दिया तो यह क़ाबिले क़बूल ज़कात (सदक़ए फित्र) होगी और जिसने नमाज़ के बाद इसे अदा किया तो वह सिर्फ सदक़ात में से एक सदक़ा ही है। (अबूदाउद) लिहाज़ा नमाज़े ईद से पहले ही सदक़ए फित्र अदा करें।

सदक़ए फित्र की मिक़दार

खजूर और किशमिश को सदक़ए फित्र में देने की सूरत में उलमा-ए-उम्मत का इत्तिफाक़ है कि इसमें एक साअ (नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक पैमाना) सदक़ए फित्र अदा करना है, अलबत्ता गेहूं को सदक़ए फित्र में देने की सूरत में इसकी मिक़दार के मुतअल्लिक़ उलमा-ए-उम्मत में ज़मानए क़दीम से इख्तिलाफ चला आ रहा है। अक्सर उलमा की राय है कि गेहूं में आधा साअ सदक़ए फित्र में अदा किया जाएगा। हज़रत उसमान, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत जाबिर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास,

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हुम से सही सनदों के साथ गेहूं में आधा साअ मरवी है। हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के उलमा भी दर्जे ज़ैल अहादीस की रौशनी में फरमाते हैं कि सदक़ए फित्र में गेंहूआधा साअ है यही राय मशहूर व मारूफ ताबई हज़रत इमाम अबू हनीफा की भी है।

सदक़ए फित्र में आधा साअ गेहूं के दलाइल

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम जौ या खजूर या किशमिश से एक साअ सदक़ए फित्र दिया करते थे यहां तक कि हज़रत मआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना तशरीफ लाए तो लोगों ने गेहूं से सदक़ए फित्र निकालने के सिलसिला में उनसे गुफतगू की तो आपने फरमाया कि गेहूं से सदक़ए फित्र में आधा साअ दिया जाए, चुनांचे लोगों ने इसी को मामूल बना लिया। (सही बुखारी व सही मुस्लिम) रियज़ुस सालेहीन के मुसन्निफ और सही मुस्लिम की सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ शरह लिखने वाले इमाम नववी ने सही मुस्लिम की शरह में लिखा है कि इसी हदीस की बुनियाद पर हज़रत इमाम अबू हनीफा और दूसरे फुक़हा ने गेहूं से आधे साअ का फैसला किया है।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गेहूं के एक साअ से दो आदमियों का सदक़ए फित्र अदा करो, खजूर और जौ के एक साअ से एक आदमी का सदक़ए फित्र अदा करो। (दारे क़ुतनी, मुसनद अहमद)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सदक़ए फित्र हर छोटे बड़े और आज़ाद व गुलाम पर गेहूं का आधा साअ और खजूर और जौ का एक साअ ज़रूरी है। (अब्दुर रज़्ज़ाक़)

हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा सदक़ए फित्र में गेहूं का आधा साअ और खजूर व जौ का एक साअ अदा करती थीं। (इब्ने अबी शैबा)

वज़ाहत - सही बुखारी व सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़ए फित्र में एक साअ जौ या एक साअ खजूर या एक साअ किशमिश या एक साअ पनीर या एक साअ खाने की चीजों से दिया जाए और खाने की चीजों से मुराद जौ या खजूर या पनीर या किशमिश है जैसा कि इस हदीस के खुद रावी सहाबिये रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस के आखिर में वज़ाहत की है। लेकिन इसमें किसी भी जगह गेंहू का तज़किरा नहीं है गरज़ ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में किसी भी जगह मज़कूर नहीं है कि गेहूं से एक साअ दिया जाए, हां हदीस की हर मशहूर व मारूफ किताब हत्ताकि सही बुखारी व सही मुस्लिम में मौजूद है कि सदक़ए फित्र में गेहूं देने की सूरत में सहाबा-ए-किराम आधा साअ (यानी तक़रीबन पौने दो किलोग्राम) गेहूं दिया करते थे जैसा कि ऊपर की आहदीस में मज़कूर है।
अकसर उलमा के क़ौल के मुताबिक़ जौ या खजूर या किशमिश का एक साअ (तक़रीबन साढ़े तीन किलो) या गेहूं का आधा साअ (तक़रीबन पौने दो किलो) या उसकी क़ीमत सदक़ए फित्र में अदा

करनी चाहिए। लेकिन इख्तिलाफ से क़तएनज़र अगर किसी को अल्लाह तआला ने वुसअत दी है और वह गेहूं से भी एक साअ या उसकी क़ीमत देना चाहता है तो यह उसके लिए बेहतर है।

क्या गल्ला व अनाज के बदले क़ीमत दी जा सकती है?

हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत इमाम बुखारी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत हसन बसरी, उलमा-ए-अहनाफ और दूसरे मुहद्दिसीन व फुक़हा व उलमा ने लिखा है कि गल्ला व अनाज की क़ीमत भी सदक़ए फित्र में दी जा सकती है। सदक़ए फित्र में गेहूं की क़ीमत देने वाले हज़रात तक़रीबन पौने दो किलो गेहूं की क़ीमत बाजार के भाव के एतेबार से अदा करें और जो मालदार हज़रात खजूर या किशमिश से सदक़ए फित्र अदा करना चाहें तो वह एक साअ यानी तक़रीबन साढ़े तीन किलो की क़ीमत अदा करें, इसमें गरीबों का फायदा है।

सदक़ए फित्र के मुस्तहिक़ कौन हैं?

सदक़ए फित्र गरीब व फक़ीर मसाकीन को दिया जाए जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में गुज़रा।

सदक़ए फित्र दूसरे शहर या दूसरे मुल्क भेजा जा सकता है

एक शहर से दूसरे शहर में सदक़ए फित्र भेजना मकरूह है (यानी जहां आप रह रहे हैं मसलन रियाज़ में तो वहीं सदक़ए फित्र अदा करें) हां अगर दूसरे शहर या दूसरे मुल्क मसलन पाकिस्तान और

हिन्दुस्तान में गरीब रिश्तेदार रहते हैं या वहां के लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं तो उनको भेज दिया तो मकरूह नहीं है।

सदक़ए फित्र से मुतअल्लिक़ चंद मसाइल

एक आदमी का सदक़ए फित्र कई फकीरों को और कई आदमियों का सदक़ए फित्र एक फकीर को दिया जा सकता है।

जिस शख्स ने किसी वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखे उसे भी सदक़ए फित्र अदा करना चाहिए।

आज कल जो नौकर चाकर उजरत पर काम करते हैं उनकी तरफ से सदक़ए फित्र अदा करना मालिक पर वाजिब नहीं है।

ईदुल फित्र के अहकाम व मसाइल

इस्लामी महीनों का आगाज़ (शुरू) चांद के नज़र आने पर होता है। यानी चांद के नज़र आने पर महीना 29 दिन वरना 30 दिन का शुमार होता है। अल्लाह तआला ने रमज़ान के रोज़े के मुतअल्लिक़ उम्मते मुस्लिमा को हुकुम दिया "तुममें से जो शख्स रमज़ान के महीना को पा ले उस पर लाज़िम है कि पूरे महीने के रोज़े रखे।" लिहाज़ा रमज़ान और दूसरे महीनों की इब्तिदा और उनके इख्तिताम (खत्म) को अहादीसे नबविया की रौशनी में समझने की कोशिश करें

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चांद देख कर रोज़े रखो और चांद देख कर ही इफतार करो। (बुखारी)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया महीना (कम से कम) 29 रातों का होता है, इसलिए जब तक 29 का चांद न देख लो रोज़ा न रखो और अगर चांद नज़र न आए तो 30 दिन पूरे करके रोज़े रखो। (बुखारी)

इन मज़कूरा अहादीस से मालूम हुआ कि हमें चांद देख कर रोज़ा शुरू करना चाहिए, वरना 30 शाबान के बाद से रोज़ा शुरू किया जाएगा। इसी तरह चांद देख कर ईद करनी चाहिए, वरना 30 रोज़े रख कर ईदुल फित्र मनाई जाएगी। अलबत्ता दूसरी बहुत सी अहादीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि हर हर शख्स का चांद देखना ज़रूरी नहीं है बल्कि अगर कुछ शरीअत के पाबन्द

हज़रात ने चांद देख लिया और उनसे बाकायदा तौर पर शहादत लेकर रुयते हिलाल कमेटी ने चांद के नज़र आने का एलान कर दिया तो हर शख्स को उस पर अमल करना ज़रूरी है। मगर हम बाज़ मुल्कों में अक़ल्लियत में होने नीज़ मुख्तलिफ जमाअतों में मुंक़सिम होने की वजह से हमारे पास ऐसी बाअसर रुयते हिलाल कमेटी मौजूद नहीं होती है कि जिसके एलान करने पर सबके ज़िम्मे उसकी पाबन्दी लाज़िम हो जाए। इसी वजह से कभी कभी एक ही शहर और मुहल्ला में एक से ज़्यादा ईद नज़र आती हैं, जिससे दूसरों को गलत पैगाम पहुंचता है, अगरचे दीनी और साइंसी दोनों नुक्तए नज़र से पूरी दुनिया में एक ही दिन ईद का होना ज़रूरी नहीं है। खैरुल कुरून में भी मुल्के शाम में मदीना से एक रोज़ पहले रमज़ान शुरू हुआ। नीज़ मक्का या मदीना में एक जगह चांद नज़र आने पर 450 किलो मीटर की दूरी के बावजूद दूसरी जगह इसको तसलीम किया गया। साइंस के एतेबार से भी तहक़ीक़ी बात यही है कि चांद के निकलने की जगहें (मातलेअ) मुख्तलिफ होती हैं और 29 का चांद हर जगह नज़र नहीं आता है, खाह मौसम बिल्कुल साफ ही क्यूं न हो बल्कि हर महीने के चांद के निकलने की जगह मुख्तलिफ होती है।

लिहाज़ा अगर तजरबात और तहक़ीक़ से मालूम हो कि फलां इलाक़ा के हज़रात एक मतला के तहत हैं तो एक जगह चांद नज़र आने पर उसी मतला के ज़िम्न में आने वाले तमाम हज़रात को चांद की शहादत और उस शहादत की बुनियाद पर चांद की पहली तारीख तसलीम कर लेनी चाहिए, क्यूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम के अक़वाल व अफआल और सहाबा-ए-किराम के तआमुल से हर हर शख्स का चांद देखना ज़रूरी नहीं है।

ईदुल फित्र की रात में भी इबादत करनी चाहिए

ईदुल फित्र की शब में इबादत करना मुस्तहब है जैसा कि हदीस में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के मुतअल्लिक़ मेरी उम्मत को खास तौर पर पांच चीजें दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिलीं, जिनमें से एक यह है कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मगफिरत कर दी जातीहै। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया कि क्या यह शबे क़दर ही तो नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं बल्कि दस्तूर यह है कि मज़दूर का काम खत्म होते ही उसे मज़दूरी दे दी जाती है। (मुसनद अहमद, बज्जार, बैहक़ी, इब्ने हिब्बान) मालूम हुआ कि ईद की रात में भी हमें इबादत करनी चाहिए और इस बाबरकत रात में खुराफात में लगने और बाजारों में घूमने के बजाए इशा और फजर की नमाजों की वक़्त पर अदाएगी करनी चाहिए, नीज़ तिलावते क़ुरान, ज़िक्र व अज़कार और दुआओं में अपने आपको मशगूल रखना चाहिए या कम से कम नमाज़े इशा और नमाज़े फजर जमाअत के साथ अदा करें।

ईदुल फित्र के बाज़ मसाइल और अहकाम

इस्लाम ने ईदुल फित्र के मौक़ा पर शरई हुदूद के अंदर रहते हुए मिल जुल कर खुशियां मनाने की इजाज़त दी है। अहादीस में आया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके

मदीना तशरीफ ले गए तो वहां देखा कि लोग दो दिनों को तेहवार के तौर पर मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मदीना से पूछा कि यह दो दिन कैसे हैं जिनमें वह खेल कूद में मशगूल रहते हैं और खुशियां मनाते हैं, तो अंसार ने जवाब दिया कि हम लोग ज़माना क़दीम से इन दोनों दिनों में खुशियां मनाते चले आ रहे हैं। यह सुन कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए इन दो दिनों से बेहतर दो दिन मुक़र्रर फरमाए हैं, एक ईदुल फित्र और दूसरा ईदुल अज़हा। (अबू दाउद)

ईदुल फित्र के दिन रोज़ा रखना हराम है जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में वारिद हुआ है।
ईद के दिन गुस्ल करना, मिसवाक करना, हसबे इस्तिताअत उमदा कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, सुबह होने के बाद ईद की नमाज़ से पहले खजूर या कोई मीठी चीज़ खाना, ईद की नमाज़ के लिए जाने से पहले सदक़ए फित्र अदा करना, एक रास्ता से ईदगाह जाना और दूसर रास्ते से वापस आना, नमाज़ के लिए जाते हुए तकबीर कहना यह सब ईद की सुन्नतों में से हैं।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल फित्र में नमाज़ से पहले कुछ खा कर जाते थे और ईदुल अज़हा में बेगैर कुछ खाए जाते थे। (तिर्मिज़ी)
ईदुल फित्र के रोज़ नमाज़े ईद से पहले नमाज़े इशराक़ न पढ़ें। (बुखारी व मुस्लिम)

ईदुल फित्र के दिन दो रिकात नमाज़ जमाअत के साथ बतौर शुक्रया अदा करना वाजिब है।

ईदुल फित्र की नमाज़ का वक़्त तुलू-ए-आफताब के बाद से शुरू हो जाता है।

ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा की नमाज़ में ज़ायद तकबीरें भी कहीं जाती हैं जिनकी तादाद में फुक़हा का इख्तिलाफ है, अलबत्ता ज़ायद तकबीरों के कम या ज़्यादा होने की सूरत में उम्मते मुस्लिमा नमाज़ के सही होने पर मुत्तफिक़ है। हज़रत इमाम अबू हनीफा ने 6 ज़ायद तकबीरों के क़ौल को इख्तियार किया है जिसके बहुत से दलाइल में से तीन दलील पेशे खिदमत है।

हज़रत सईद बिन अलआस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुज़ैफा बिन अलयमान रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल अज़हा और ईदुल फित्र में कितनी तकबीरें कहते थे? हज़रत अूब मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि चार तकबीर कहते थे जनाज़ा की तकबीरों की तरह। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने (हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की तसदीक़ करते हुए) कहा कि उन्होंने सच कहा। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि जब मैं बसरा में गवरनर था तो वहां भी ऐसे ही किया करता थे। (सुनन अबू दाउद, बैहक़ी)

अहादीस की बहुत सी किताबों में जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से ईदैन की चार तकबीरें (पहली रिकात में तकबीरे तहरीमा के साथ और दूसरी रिकात में रुकू की तकबीर के साथ) मंकूल हैं। याद रखें कि हज़रत इमाम अूब हनीफा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दों के खुसूसी शागिर्द हैं बल्कि हक़ीक़त यह है कि हज़रत इमाम अूब हनीफा ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ुरान व हदीस फहमी के हक़ीक़ी वारिस बने।

इमाम तहावी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तकबीराते जनाज़ा की तादाद में इख्तिलाफ हुआ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत में हजराते सहाबा-ए-किराम के आपसी मशवरे के बाद इस मामले पर इत्तिफाक़ किया कि जनाज़ा की भी चार तकबीरें हैं नमाज़े ईदुल अज़हा और ईदुल फित्र की चार तकबीरों की तरह (पहली रिकात में तकबीरे तहरीमा के साथ और दूसरी रिकात में रूकू की तकबीर के साथ)। (तहावी) गरज़ ये कि अहदे फारूकी में इख्तिलाफी मसअला “तकबीराते जनाज़ा” को तैशुदा मसअला “तकबीराते ईद” के मुशाबह क़रार दे कर चार की ताईन कर दी गई।

ईद की नमाज़ के बाद इमाम का खुतबा पढ़ना सुन्नत है, खुतबा शुरू हो जाए तो खामोश बैठ कर उसका सुनना वाजिब है। जो लोग खुतबा के दौरान बातचीत करते रहते हैं या खुतबा छोड़ कर चले जाते हैं वह गलत करते हैं।

चांद देखने का मसअला

इस्लामी महीनों का आगाज़ चांद के नज़र आने पर होता है, यानी चांद नज़र आने पर महीना 29 दिन वरना 30 दिन का शुमार होता है। अल्लाह तआला ने रमज़ान के रोज़े के मुतअल्लिक़ उम्मते मुस्लिमा को हुकुम दिया “**तुममें से जो शख्स रमज़ान के महीना को पाले उस पर लाज़िम है कि पूरे महीने के रोज़े रखे।**” लिहाज़ा रमज़ान और दूसरे महीनों की इब्तिदा और उनके इख्तिताम को अहादीसे नबविया की रौशनी में समझने की कोशिश करें।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चांद देख कर रोज़े रखो और चांद देख कर ही इफतार करो। (बुखारी)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया महीना (कम से कम) 29 रातों का होता है, इसलिए जब तक 29 का चांद न देख लो रोज़ा न रखो और अगर चांद नज़र न आए तो 30 दिन पूरे करके रोज़े रखो। (बुखारी)
इन मज़कूरा अहादीस से मालूम हुआ कि हमें चांद देख कर रोज़ा शुरू करना चाहिए, वरना 30 शाबान के बाद से रोज़ा शुरू किया जाएगा। इसी तरह चांद देख कर ईद करनी चाहिए, वरना 30 रोज़े रख कर ईदुल फित्र मनाई जाएगी। अलबत्ता दूसरी बहुत सी अहादीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि हर हर शख्स का चांद देखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर कुछ शरीअत के पाबन्द हज़रात ने चांद देख लिया और उनसे बाकायदा तौर पर शहादत

लेकर रुयते हिलाल कमेटी ने चांद के नज़र आने का एलान कर दिया तो हर शख्स को उस पर अमल करना ज़रूरी है। मगर हम बाज़ मुल्कों में अक़ल्लियत में होने नीज़ मुख्तलिफ जमाअतों में मुंक़सिम होने की वजह से हमारे पास ऐसी बाअसर रुयते हिलाल कमेटी मौजूद नहीं होती है कि जिसके एलान करने पर सबके ज़िम्मे उसकी पाबन्दी लाज़िम हो जाए। इस वजह से कभी कभी एक ही शहर और मुहल्ला में एक से ज़्यादा ईद नज़र आती हैं जिससे दूसरे को गलत पैगाम पहुंचता है, अगरचे दीनी और साइंसी दोनों नुक्तए नज़र से पूरी दुनिया में एक ही दिन ईद का होना ज़रूरी नहीं है। खैरुल क़ुरून में भी मुल्के शाम में मदीना से एक रोज़ पहले रमज़ान शुरू हुआ। नीज़ मक्का या मदीना में एक जगह चांद नज़र आने पर 450 किलोमीटर की दूरी के बावजूद दूसरी जगह इसको तसलीम किया गया। साइंस के एतेबार से भी तहक़ीक़ी बात यही है कि चांद के निकलने की जगहें (मताले) मुख्तलिफ होती हैं और 29 का चांद हर जगह नज़र नहीं आता है खाह मौसम बिल्कुल साफ ही क्यूं न हो बल्कि हर महीने के चांद के निकलने की जगह मुख्तलिफ होती है। लिहाज़ा अगर तजरबात और तहक़ीक़ से मालूम हो कि फलां इलाक़ा के हज़रात एक मतला के तहत है तो एक जगह चांद नज़र आने पर उसी मतला के ज़िम्न में आने वाले तमाम हज़रात को चांद की शहादत और उस शहादत की बुनियाद पर चांद की पहली तारीख तसलीम कर लेनी चाहिए, क्यूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल और सहाबा-ए-किराम के तअम्मुल से हर हर शख्स का चांद देखना ज़रूरी नहीं है।

रमज़ानुल मुबारक के बाद

चंद ही दिनों में रमज़ान के महीने की बाबरकत घड़ियां खत्म हो जाएंगी फिर हम एक साल तक याद किया करेंगे, सेहरी खाने वालें पर नाज़िल होने वाली अल्लाह तआला की खास रहमतों को, रोज़ादार के मुंह के खुशबू अल्लाह तआला के नज़दीक इफतार के वक़्त क़बूलियते दुआ को, सियाम व क़याम पर गुजशता गुनाहों की माफी और दरजात की बुलंदी को, हर नेक अमल के अज्र व सवाब बढ़ाए जाने को, क़ुरान करीम का मुबारक महीने से खास तअल्लुक़ व शगफ को और बेशुमार अल्लाह तआला के बन्दों की जहन्नम से छुटकारे को। मगर हमें नहीं मालूम कि हमसे कितने भाई बहनों के लिए यह आखिरी रमज़ान होगा और वह आइन्दा साल माहे क़ुरान में नमाज़े तरावीह और तहज्जुद नहीं पढ़ सकें गे, नीज़ उनको रोज़ा रखने का मौक़ा मुयस्सर नहीं होगा जिसके मुतअल्लिक़ खालिक़े कायनात का इरशाद हदीसे क़ुदसी के मुताबिक़ खुद रोज़ा का बदला हूं।

अमल की क़बूलियत की जो अलामतें उलमा-ए-किराम ने क़ुरान व हदीस की रौशनी में लिखा हैं इनमें से एक अहम अलामत अमले सालेह के बाद दूसरे आमाले सालेहा की तौफीक़ और दूसरी अलामत इताअत के बाद नाफरमानी की तरफ अदमे रुजू है। नीज़ एक अहम अलामत नेक अमल पर क़ायम रहना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तआला को महबूब अमल वह है जिसमें मुदावमत यानी पाबन्दी हो खाह मिक़दार में कम ही

क्यूं न हो। (बुखारी व मुस्लिम) हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुतअल्लिक़ सवाल किया गया क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम को किसी खास अमल के लिए मखसूस फरमाया करते थे? हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल में मुदावमत (पाबन्दी) फरमाते थे। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो ज़रूर करे। (मुस्लिम) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अलआस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इरशाद फरमाया ऐ अब्दुल्लाह! फलां शख्स की तरह मत बनो जो रातों को क़याम करता था लेकिन अब छोड़ दिया। (बुखारी व मुस्लिम)

लिहाज़ा रमज़ान के महीने के खत्म होने के बाद भी हमें बुराइयों से बचना चाहिए और नेक आमाल का सिलसिला बाक़ी रखना चाहिए, क्यूंकि इसी में हमारी दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी छुपी है। चंद आमाल लिख रहा हूं, दूसरे आमाले सालिहा के साथ उनका भी खास एहतेमाम रखें।

सदक़ए फित्र की अदाएगी

फित्र के मानी रोज़ा खोलने या रोज़ा रखने के हैं। शरई इस्तिलाह में उस सदक़े का नाम सदक़ए फित्र है जो रमज़ान के महीने के खत्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिया के तौर पर अदा किया जाता है, नीज़ सदक़ए फित्र रमज़ान की कोताहियों और

गलतियों का कफ्फारा भी बनता है जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया “ज़कातुल फित्र तुहरतुन आखिर तक” (अबू दाउद, इब्ने माजा) ईदुल फित्र के मौक़ा पर सदक़ए फित्र इस वास्ते मुक़र्रर किया गया है कि इसमें रोज़ादारों के लिए गुनाहों से पाकीज़गी और उनके रोज़ों की तकमील है। नीज़ मालदारों के घरों में उस दिन ईद होती है, मुख्तलिफ क़िस्म के पकवान पकते हैं, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, जबकि गरीबों के घरों में गरीबी की वजह से रोज़े की शकल मौजूद होती है, लिहाज़ा अल्लाह तआला ने मालदार और अच्छे खाते पीते लोगों पर लाज़िम ठहराया कि गरीबों को ईद से पहले सदक़ए फित्र दे दें ताकि वह भी खुशियों में शरीक हो सकें , वह भी अच्छा खा पी सकें और अच्छा पहन सकें ।

बहुत से अहादीस से सदक़ए फित्र का वुजूब साबित है, इख्तिसार के मद्देनज़र यहां एक हदीस ज़िक्र कर रहा हूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ए फित्र मुसलमानों पर वाजिब क़रार दिया है खाह वह गुलाम हो या आज़ाद, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा। (बुखारी व मुस्लिम) सदक़ए फित्र की अदाएगी का असल वक़्त ईदुल फित्र के दिन नमाज़े ईद से पहले है, अलबत्ता रमज़ान के आखिरी दिनों में किसी भी वक़्त अदा किया जा सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकुम दिया कि सदक़ए फित्र नमाज़ के लिए जाने से पहले अदा कर दिया जाए। (बुखारी व मुस्लिम) हज़रत नाफे

रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर के छोटे बड़े तमाम अफराद की तरफ से सदक़ए फित्र देते थे हत्ताकि मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे और ईदुल फित्र से एक दिन या दो दिन पहले ही अदा करते थे। (बुखारी) सदक़ए फित्र में असल ग़ल्ला व अनाज देना है मगर ज़माना की ज़रूरत को देखते हुए तक़रीबन तमाम ही मकातिबे फिक्र का इत्तिफाक़ है कि असरे हाज़िर में ग़ल्ला व अनाज के बदले क़ीमत भी दी जा सकती है।

नमाज़ ईदुल फित्र के अदाएगी

ईदुल फित्र की शब में इबादत करना मुस्तहब है और दिन में रोज़ा रखना हराम है। ईदुल फित्र के दिन दो रिकातों का बतौर शुक्रया अदा करना वाजिब है। ईद की नमाज़ का वक़्त सूरज के निकलने के बाद से शुरू हो जाता है। ईद की नमाज़ के बाद इमाम का खुतबा पढ़ना सुन्नत है, खुतबा शुरू हो जाए तो खामोश बैठ कर उसका सुनना ज़रूरी है। जो लोग खुतबा के दौरान बातचीत करते रहते हैं या खुतबा छोड़ कर चले जाते हैं वह गलत करते हैं। ईद के दिन गुस्ल करना, मिसवाक करना, हसबे इस्तिाअत उमदा कपड़े पहन्ना, खुशबू लगाना, सुबह होने के बाद ईद की नमाज़ से पहले कोई मीठी चीज़ खाना, ईद की नमाज़ के लिए जाने से पहले सदक़ए फित्र अदा करना, एक रास्ता से ईदगाह/मस्जिद जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, नमाज़ के लिए जाते हुए तकबीर कहना यह सब ईद की सुन्नतों में से हैं।

शव्वाल के महीने के छः रोज़े

हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद छः दिन शव्वाल के रोज़े रखे तो वह ऐसा है गोया उसने साल भर रोज़े रखे। (सही मुस्लिम, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खुशखबरी दी है कि रमज़ान के महीने के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के छः रोज़े रखने वाला इस क़दर अज्र व सवाब का हक़दार होता है कि गोया उसने पूरे साल रोज़े रखे, अल्लाह तआला के करीमाना क़ानून के मुताबित एक नेकी का सवाब कम से कम दस गुना मिलता है जैसा कि इरशाद रब्बानी है "**जो शख्स एक नेकी ले कर आएगा उसको दस नेकियों का सवाब मिलेगा।**" (सूरह इनाम 160) तो इस तरह जब कोई रमज़ान के महीने के रोज़े रखेगा तो दस महीनों के रोज़ों का सवाब मिलेगा और जब शव्वाल के छः रोज़े रखेगा तो साठ दिनों के रोज़ों का सवाब मिलेगा तो इस तरह मिल कर बारह महीनों यानी एक साल के बराबर सवाब हो जाएगा। यह छः रोज़े शव्वाल के महीने में ईदके बाद लगातार भी रखे जा सकते हैं और बीच में छोड़ कर भी रखे जा सकते हैं। अगर किसी शख्स ने इन छः रोज़ों को रखना शुरू किया, लेकिन किसी वजह से एक या दो रोज़ा रखने के बाद दूसरे रोज़े नहीं रख सका तो उस पर बाक़ी रोज़ों की कज़ा ज़रूरी नहीं है।

फ़र्ज़ नमाज़ की पाबन्दी

न्माज, ईमान के बाद दीने इस्लाम का सबसे अहम और बुनियादी रुक्न है जिसकी अदाएगी हर आकिल व बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन इंतिहाई तशवीश व फिक्र की बात है कि मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद इस अहम फरीज़े से बेपरवाह है। रमज़ान के मुबारक महीने में तो नमाज़ का एहतेमाम कर लेते हैं मगर रमज़ान के बाद फिर कोताही और सुस्ती करने लगते हैं। हालांकि क़ुरान व हदीस में इस फरीज़े की बहुत ज़्यादा अहमियत और ताकीद हुई है। अल्लाह तआला हम सबको हर वक़्त (रमज़ान और गैरे रमज़ान) नमाज़ का पाबन्द बनाए।

अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है "यक़ीनन नमाज़ मोमिनों पर मुक़र्ररह वक़्तों पर फर्ज़ है।" (सूरह निसा 103) दिन रात में कुल 17 रिकातें हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज़ हैं, फजर की 2 रिकात, ज़ुहर की 4 रिकात, असर की 4 रिकात, मगरिब की 3 रिकात और ईशा की 4 रिकात।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन आदमी के आमाल में सबसे पहले फर्ज़ नमाज़ का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज़ दुरुस्त हुई तो वह कामयाब व कामरान होगा और अगर नमाज़ दुरुसत न हुई तो वह नाकाम और घाटा में रहेगा। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसई, अबू दाउद मुसनद अहमद)

हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना अल्लाह तआला ने बन्दों पर पांच नमाजें फर्ज़ फरमाई हैं, जो इन नमाजों को इस तरह ले कर आए कि इनमें किसी क़िस्म की कोताही न की हो तो हक़ ताअला शानुहु का अहद है कि इसको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएगा और जो शख्स ऐसा न करे तो अल्लाह तआला का कोई अहद उससे नहीं, चाहे उसको अज़ाब दे चाहे जन्नत में दाखिल कर दे। (मोअत्ता मालिक, इब्ने माजा, अबू दाउद, मुसनद अहमद)

हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत यह इरशाद फरमाई नमाज़, नमाज़ (नमाज़ का एहतेमाम करो)। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वसीयत फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से पूरे लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। (मुसनद अहमद)

हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गवरनरों को यह हुकुम जारी फरमाया कि मेरे नज़दीक तुम्हारे मामलों में से सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज़ की है। जिसने नमाज़ की पाबन्दी करके उसकी हिफाज़त की उसने पूरे दीन की हिफाज़त की और जिसने नमाज़ को बरबाद किया वह नमाज़ के अलावा दीन के दूसरे अरकान को ज़्यादा बरबाद करने वाला होगा। (मोअत्ता मालिक)

नमाज़ वित्र की पाबन्दी

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यक़ीनन अल्लाह तआला ने तुम पर ऐक ऐसी नमाज़ का इज़ाफा किया है जो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है और वह वित्र की नमाज़ है जिसका वक़्त इशा की नमाज़ से तुलू-ए-फजर तक है। (इब्ने माजा, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद) हदीस की तक़रीबन हर मशहूर व मारूफ किताब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मते मुस्लिमा को नमाज़े वित्र पढ़ने का हुकुम मौजूद है जो उमूमन वजूब के लिए होता है। लिहाज़ा हमें बादे नमाज़े इशा या अज़ाने फज्र से पहले वित्र पढ़ने की पाबन्दी करनी चाहिए। अहादीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि नमाज़े वित्र की वक़्त पर अदाएगी न करने पर दूसरे दिन तुलू-ए-आफताब के बाद किसी भी वक़्त कज़ा कर लेनी चाहिए।

सुनन मुअक्कदा का एहतेमाम

हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जिस शख्स ने दिन और रात में बारा रिकातें (फर्ज़ के अलावा) पढ़ीं उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया गया। (मुस्लिम) तिर्मिज़ी में यह हदीस वज़ाहत के साथ वारिद हुई है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दिन रात में दर्जज़ैल 12 रिकातें पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा। 4 ज़ुहर से पहले, 2 ज़ुहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 ईशा के बाद और 2 फजर से पहले। इन

सुनन मुअक्कदा के अलावा दूसरे सुनन गैर मुअक्कदा नमाज़े तहज्जुद, नमाज़े इशराक़, नमाज़े चाश्त, तहिय्यतुल वज़ू और तहिय्यतुल मस्जिद का भी एहतेमाम फरमाएं।

क़ुरान करीम की तिलावत का एहतेमाम

तिलावते क़ुरान का रोज़ाना एहतेमाम करें, चाहे थोड़ा ही क्यूं न हो। उलमा-ए-किराम की सरपरस्ती में क़ुरान करीम को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। क़ुरान करीम में वारिद अहकाम व मसाइल को समझ कर उन पर अमल अमल करें और दूसरों को पहुंचाएं, यह मेरी, आपकी हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। अगर हम क़ुरान करीम के मानी व मफहूम नहीं समझ पा रहे हैं तब भी हमें तिलावत करनी चाहिए, क्यूंकि क़ुरान करीम की तिलावत भी मतलूब है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक हर्फ क़ुरान करीम का पढ़े उसके लिए उस हर्फ के बदला एक नेकी है और एक नेकी का अज्र दस नेकी के बराबर मिलता है। मैं यह नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है बल्कि अलिफ एक हर्फ , लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। (तिर्मिज़ी)

हलाल रिज़्क़ पर इकतिफा

हराम रिज़्क़ के तमाम वसाइल से बचकर सिर्फ हलाल रिज़्क़ पर इकतिफा करें चाहे मिक़दार में बज़ाहिर कम ही क्यूं न हो, क्यूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन किसी इंसान का क़दम अल्लाह तआला के सामने से हट नहीं सकता यहां तक कि वह पांच सवालों के जवाब देदे। इन

पांच सवालात में से दो सवाल माल के मुतअल्लिक़ हैं कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया? इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि सिर्फ हलाल वसाइल पर ही इकतिफा करे, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "हराम माल से जिस्म की बढ़ोतरी ना करो क्यूंकि इससे बेहतर आग है" इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "वह इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी परवरिश हराम मालसे हुई हो, ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है।" नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि "हराम खाने, पीने और हराम पहनने वालों की दुआऐं कहां से क़बूल हों।"(सही मुस्लिम)

असरे हाज़िर में बाज़ नाजाएज़ चीजें मुख्तलिफ नामों से रायज हो गई है, इनसे बचना चाहिए, क्यूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हलाल वाज़ेह है हराम वाज़ेह है और उनके दरमियान कुछ मुशतबह चीजें हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते। जिस शख्स ने शुबहा वाली चीजों से अपने आपको बचा लिया उसने अपने दीन और इज़्ज़त की हिफाज़त की और जो शख्स मुशतबह चीजों में पड़ेगा वह हराम चीजों में पड़ जाएगा उस चरवाहे की तरह जो दूसरे की चरागाह के क़रीब बकरियां चराता है, क्यूंकि बहुत मुमकिन है कि चरवाहे की थोड़ी सी गफलत की वजह से वह बकरियां दूसरे की चरागाह से कुछ खालें। (बुखारी व मुस्लिम)

बच्चों की दीनी तालीम व तरबियत

हमारी यह कोशिश व फिक्र होनी चाहिए कि हमारी औलाद शरीयत के अहम व ज़रूरी मसाइल से वाक़िफ हो कर दुनियावी ज़िन्दगी गुजारे और उखरवी इमतिहान में कामयाब हो जाए, क्यूंकि उखरवी इमतिहान में नाकामी की सूरत में दर्दनाक अज़ाब है जिसकी तलाफी मरने के बाद मुमकिन नहीं है, मरने के बाद आंसू के समन्दर बल्कि खून के आंसू बहाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। याद रखें कि अगर हम उखरवी ज़िन्दगी को सामने रख कर दुनियावी ज़िन्दगी गुजारेंगे तो हमारा बच्चों की तालीम में मशगूल होना, उनकी तालीम पर पैसे खर्च करना और हर अमल दुनिया व आखिरत दोनों जहां की कामयाबी दिलाने वाला बनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज असरी तालीम को इस क़दर फौक़ियत व अहमियत दी जा रही है कि लड़कों और लड़कियों को बालिग होने के बावजूद नमाज़ व रोज़े का एहतेमाम नहीं कराया जाता, क्यूंकि इनको स्कूल जाना है, होम वर्क करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना हे, इमतिहानात की तैयारी करनी है वगैरह वगैरह, यानी दुनियावी ज़िन्दगी की लालीम के लिए हर तरह की जान व माल और वक़्त की क़ुर्बानी देना आसान है, लेकिन अल्लाह तआला के हुकुम पर अमल करने में दुशवारी महसूस होती है।

टीवी और इन्टरनेट के गलत इस्तेमाल से दूरी

मुआशरे की बेशुमार बुराईयां टीवी और इन्टरनेट के गलत इस्तेमाल से फैल रही हैं, लिहाज़ा फहश व उरयानियत व बेहयाई के प्रोग्राम देखने से अपने आपको भी दूर रखें और अपनी औलाद और घर वालों

की खास निगरानी रखें ताकि यह जदीद वसाइल आपके मातहतों कि आखिरत में नाकामी का सबब न बनें, क्यूंकि आपसे मातहतों के मुतअल्लिक़ भी सवाल किया जाएगा, अल्लाह तआला का इरशाद है "**ऐ ईमान वालो! अपने आपको और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे।**" (सूरह तहरीम 6)

अल्लाह तआला मगफिरत और रहमत वाले महीने में किए गए हमारे तमाम आमाले सालिहा को क़बूल फरमाए और हमारे लिए जहन्नम से छुटकारा का फैसला फरमाए, आमीन।

शव्वाल के महीने के छः रोज़े

शव्वाल के छः रोज़े वाजिब या सुन्नत?

क़ुरान व सुन्नत में शव्वाल के छः रोज़ों के वाजिब होने की दलील मौजूद नहीं है, इस वजह से उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि शव्वाल के यह छः रोज़े फर्ज़ या वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत हैं। शव्वाल के इन छः रोज़ों के सुन्नत होने पर जमहूर उलमा का इत्तिफाक़ है, सिर्फ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मोअत्ता इमाम मालिक में (रमज़ान के फौरन बाद यानी ईदुल फित्र के दूसरे दिन से) इन छः रोज़ों के एहतेमाम को मकरूह लिखा है। बाज़ हज़ारत ने ईदुल फित्र के फौरन बाद इन छः रोज़ों को रख कर सातवीं शव्वाल की शाम को एक तक़रीब की सूरत बनानी शुरू कर दी थी। मुमकिन है कि इसी वजह से इमाम मालिक ने ईदुल फित्र के दूसरे दिन से एहतेमाम के साथ इन छः रोज़े रखने को मकरूह क़रार दिया हो, ताकि रमज़ान और गैरे रमज़ान के रोज़ों में फ़र्क़ किया जा सके जैसा कि इमाम क़ुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि खुरासान के बाज़ हज़रात ने रमज़ान की तरह ईदुल फित्र के इन छः रोज़ों का एहतिमाम किया। जमहूर उलमा की राय यही है कि शव्वाल के छः रोज़े सुन्नत हैं और ईदुल फित्र के दूसरे दिन से इन रोज़ों का एहतिमाम किया जा सकता है।

शव्वाल के छः रोज़े रखने की फज़ीलत

हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने

रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद छः दिन शव्वाल के रोज़े रखे तो वह ऐसा है गोया उसने साल भर रोज़े रखे। (सही मुस्लिम, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) इस मज़कूरा हदीस में दहर का लफ्ज़ आया है जिसके असल मानी ज़माने के हैं लेकिन दूसरे अहादीस की रौशनी में यहां साल मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खुशखबरी दी है कि रमज़ान के महीने के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के छः रोज़े रखने वाला इस क़दर अज्र व सवाब का हक़दार होता है कि गोया उसने पूरे साल रोज़े रखे, अल्लाह तआला के करीमाना क़ानून के मुताबिक़ एक नेकी का सवाब कम से कम दस गुना मिलता है जैसा कि इरशाद रब्बानी है "**जो शख्स एक नेकी ले कर आएगा उसको दस नेकियों का सवाब मिलेगा।**" (सूरह इनाम 160) तो इस तरह जब कोई रमज़ान के महीने के रोज़े रखेगा तो दस महीनों के रोज़ों का सवाब मिलेगा और जब शव्वाल के छः रोज़े रखेगा तो साठ दिनों के रोज़ों का सवाब मिलेगा तो इस तरह मिल कर बारह महीनों यानी एक साल के बराबर सवाब हो जाएगा।

मज़कूरा फज़ीलत के अलावा उलमा-ए-किराम ने लिखा है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में जो कोताहियां सरज़द हो जाती हैं, शव्वाल के इन छः रोज़ों से अल्लाह तआला इस कोताही और कमी को दूर फरमा देते हैं। इस तरह इन छः रोज़ों की रमज़ान के फर्ज़ रोज़ों से वही निसबत होगी जो सुनन व नवाफिल की फर्ज़ नमाजों के साथ है कि अल्लाह तआला सुनन व नवाफिल के ज़रिये नमाजों की

कोताहियों को पूरा फरमा देता है जैसा कि वाज़ेह तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है।

शव्वाल के छः रोज़े मुसलसल रखने का ज़िक्र नहीं है, लिहाज़ा यह छः रोज़े शव्वाल के महीने में ईदुल फित्र के बाद लगातार भी रखे जा सकते हैं और बीच में नागा करके भी। उलमा-ए-अहनाफ और सउदी अरब के किबार उलमा की कौनसिल ने यही फतवा दिया है कि रमज़ान के फौरन बाद या लगातार रखना कोई शर्त नहीं है, शव्वाल में कभी भी मुसलसल या बीच में नागा करके छः रोज़े रखने से यह फज़ीलत हासिल हो जाएगी। (अल लजनतुल इल्मिया ......10/391)

शव्वाल के छः रोज़े की फज़ीलत के एक जुज़इये पर मामूली इख्तिलाफ

रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के छः रोज़े रखने से पूरे साल फर्ज़ रोज़े या नफल रोज़े रखने की फज़ीलत हासिल होगी इसमें उलमा की राय मुख्तलिफ हैं। इमाम शाफइ और इमाम अहमद बिन हमबल रहमतुल्लाह अलैहिम की राय है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के छः रोज़े रखने से पूरे साल फर्ज़ रोज़े रखने की फज़ीलत हासिल होगी, अलबत्ता इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि पूरे साल नफल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। दोनों राय में से कोई भी राय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा-ए-किराम के वाज़ेह अक़वाल से मुदल्लल नहीं है, बस अहादीस के मफाहीम से अपने अपने अक़वाल को मुज़य्यन करने की कोशिश की गई है। खुलासा कलाम यह है कि रमज़ान के बाद शव्वाल के छः

रोज़े रखने से पूरे साल रोज़े रखने की फज़ीलत का हासिल होना तो यक़ीनी है मगर साल भर के फर्ज़ या नफल रोज़े इसमें इख्तिलाफ है।

रमाज के छुटे हुए रोज़ों और शव्वाल के छः रोज़ों में से कौन से पहले रखें जाएं

अगर किसी शख्स के रमज़ान के रोज़े किसी उज़्र की वजह से छूट गए तो तहक़ीक़ी बात यह है कि रमज़ान के रोज़ों की कज़ा से पहले अगर कोई शख्स इन छः रोज़ों को रखना चाहे तो जाएज़ है, क्यूंकि रमज़ान के रोज़ों की कज़ा फौरी तौर पर वाजिब नहीं है बल्कि किसी भी महीने में रमज़ान के छुटे हुए रोज़ों की कज़ा की जा सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें हत्ता कि अज़वाजे मुतहहरात अपने रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की कज़ा आम तौर पर ग्यारह महीने बाद शाबान में किया करती थीं जैसाकि अहादीस में मज़कूर है। अगरचे इमाम अहद बिन हमबल ने रमज़ान के रोज़ों की कज़ा से पहले छः रोज़ों की अदाएगी को नाजाएज़ क़रार दिया है।

अब एक और इख्तिलाफी मसअला है कि रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की कज़ा से पहले शव्वाल के छः रोज़े रखने से पूरे साल रोज़े रखने की फज़ीलत हासिल हो जाएगी या नहीं। हमें अल्लाह तआला की ज़ाते आली से यही उम्मीद है कि रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की कज़ा से पहले भी शव्वाल के छः रोज़े रखने की फज़ीलत हासिल हो जाएगी, इंशाअल्लाह।

(नोट) अगर किसी ने इन छः रोज़ों को रखना शुरू किया लेकिन किसी वजह से एक या दो रोज़ा रखने के बाद दूसरे रोज़े नहीं रख सका तो उस पर बाक़ी रोज़ों की कज़ा ज़रूरी नहीं है, इसी तरह अगर कोई शख्स हर साल इन रोज़ों के रखने का एहतिमाम करता है मगर किसी साल न रख सके तो वह गुनहगार नहीं है और ना ही उस पर उन रोज़ों की कज़ा वाजिब है।

जुमा के दिन ईद होने पर नमाज़े जुमा भी अदा की जाए

बाज हजरात मसाइल से पूरी तरह वाकफियत के बेगैर गलत मालूमात लोगों को देते हैं जिनसे आम मुसलमान सिर्फ खलफशारी का शिकार होते हैं, मसलन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल अमल के बर खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली इजाजत को बाज हजरात इस तरह ब्यान करते हैंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को जिक्र किए बेगैर कहा जाता है कि अगर जुमा के दिन ईद हो जाये तो जुमा की नमाज़ के बजाये जुहर की नमाज़ अदा की जाये। हालांकि मसअला सिर्फ इतना है कि जो हजरात दूर दराज इलाकों से नमाज़े ईद पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है कि वह नमाज़े ईद से फारिग हो कर अगर अपने घर जाना चाहें तो चले जायें, फिर वह अपने घरों में जुहर के वक्त में नमाज़े जुहर अदा कर लें। लेकिन जो हजरात नमाज़े जुमा में हाजिर हो सकते हैं वह नमाज़े जुमा ही अदा करें चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन ईद होने पर ईद की नमाज़ के बाद नमाज़े जुहर का वक्त होने पर जुमा की नमाज़ ही पढ़ाई और सहाबा ने जुमा ही की नमाज़ पढ़ी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक उम्मते मुस्लिमा 1400 साल से जुमा के दिन ईद होने पर दोनों नमाजें यानी ईद और जुमा जमात के साथ पढ़ती आ रही है। लिहाजा हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल अमल की ही दूसरों को तालीम देनी चाहिए और वह यह है कि जुमा के दिन ईद होने पर ईद की नमाज़ के बाद जुहर के वक्त में जुमा की नमाज़ अदा करें अगरचे

दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग अपने घरों में जा कर जुहर की नमाज़ अदा कर सकते हैं। हिन्द व पाक के जमुहूर उलमा का भी यही मौकिफ है। सउदी अरब के उलमा ने भी वजाहत के साथ लिखा है कि जिन मसाजिद में नमाज़े जुमा अदा की जाती है वहां जुमा के दिन ईद होने पर जुहर नहीं बल्कि जुमा की ही नमाज़ अदा की जाये और जिन मसाजिद में नमाज़े जुमा अदा नहीं होती वहां नमाज़े जुहर की जमात का एहतिमाम न किया जाये। मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में भी जुमा के दिन ईद होने पर ईद और जुमा दोनों नमाजें जमात के साथ अदा की जाती है।

हमारी तरफ से ईदुल फित्र की मुबारकबाद कबूल फरमाईये। अल्लाह तआला हमारे नेक आमात को कबूल फरमाए। आमीन

फितनों के दौर में औरतों का ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह जाना मुनासिब नहीं

इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में औरतें नमाज़े ईद के लिए ईदगाह जाया करती थीं जैसा कि अहादीस में मजकूर है। लेकिन बाज हकायक को हमें नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। मसलन मदीना मुनव्वरा की हिजरत के दूसरे साल रमजान के रोजे फर्ज़ हुए। यानी 2 हिजरी से नमाज़े ईद की इब्तिदा हुई जबकि परदा का हूकुम 5 या 6 हिजरी में नाजिल हुआ। यानी तकरीबन इब्तिदाई पांच साल की नमाज़ में औरतें के जाने में कोई मसअला ही नहीं था क्योंकि परदा का हूकुम ही नाजिल नहीं हुआ था। नीज शरई अहकाम थोड़े थोड़े नाजिल हो रहे थे और किसी फितना की कोई उम्मीद थी नहीं थी, लिहाजा जरूरत थी कि औरतें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से बराहे रास्त मुस्तफीज हो कर दीनी रहनुमाई हासिल करें। उम्मुल मोमेनीन हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा जिनके जरिया शरीअते इस्लामिया का एक काबिले कदर हिस्सा उम्मते मुस्लिमा को पहुंचा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तकरीबन 48 साल हयात रहीं। सिर्फ 48 साल के दौर में औरतों के तअल्लुक से मुआशरा में जो तब्दिलियां उन्होंने अपनी जिन्दगी में देखीं तो फरमाया कि औरतो ने जो तजईन का तरीका इख्तियार कर लिया है और फितना के मौके बढ़ गए हैं, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्दा होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मस्जिदों में जाने से रोक देते, जैसा कि बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। (मुस्लिम) नीज हुजूर अकरम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में यकीनन औरतों को मस्जिदों में जाने की इजाजत थी मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने के बजाए वक्तन फवक्तन उनको घरों में नमाज़ पढ़ने की तरगीब देते थे। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के घर (नमाज़ के वास्ते) उनके हक में ज्यादा बेहतर हैं। यानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के मुकाबला में उनके लिए घर में नमाज़ पढ़ना ज्यादा सवाब का बाइस है। (अबु दाउद) इसी लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत की नमाज़ अपने घर के अन्दर घर के सेहन की नमाज़ से बेहतर है। और उसकी नमाज़ घर की छोटी कोठरी में घर की नमाज़ से बेहतर है। (अबु दाउद) यानी औरत जिस कदर पोशीदा हो कर नमाज़ अदा करेगी उसी एतिबार से ज्यादा मुस्तहिक सवाब होगी। हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी जिन्दगी में यह महसूस कर लिया था कि औरतों के लिए बेहतर यही है कि वह अपने घरों में नमाज़ अदा फरमाए, अब 1400 साल के बाद जबकि फितनों का दौर है, हर तरफ उरयानियत, बेहायाई और बेपरदगी आम हो चुकी है। हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा के जमाना की औरतें हमारे जमाना की औरतों के मुकाबला में हजार दरजा इल्म व तकवा में बढ़ी हुई थीं, लेकिन इसके बावजूद हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने उनके मस्जिदों में जाने से अपने तहफ्फुज़ात जिक्र किए। इहतियात का तकाजा भी यही है कि औरतें नमाज़े ईद के लिए ईदगाह न जायें। जिन फुकहा व उलमा ने औरतों को नमाज़े ईद के लिए जाने की इजाजत दी है उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की

तालीमात के मुताबिक चंद शरायत (मसलन परदा का मुकम्मल इहतिमाम, खुशबु के इस्तिमाल से इजतिनाब, जेब व जीनत के बेगैर जाना, किसी तरह के फितने का इमकान न होना और मर्द और औरत का इखतिलात न होना) को जरूरी करार दिया है।
अब आप खुद ही फैसला करें कि हमारे मौजूदा मुआशरा में औरतों का नमाज़े ईद के लिए जाने में क्या यह शर्त ेरपहो सकते हैं? जवाब यकीनन मनफी में ही होगा। एक तरफ औरतों का नमाज़े ईद के लिए जाने की ज्यादा गुंजाइश नजर आती है जबकि दूसरी तरफ बहुत से मुंकरात यकीनी तौर पर मौजूद हैं लिहाजा इसी में भलाई है कि फितनों के इस दौर में औरतें नमाज़े ईद के लिए ईदगाह न जायें।
अगर हम सिर्फ पचीस तीस साल पहले की बात करें तो हिन्दुस्तान में भी औरतें बेगैर परदा के बाहर नहीं निकलती थीं जबकि पहली और दूसरी सदी हिजरी में ही औरतों के तअल्लुक से फुकहा व उलमा की एक जमात का यह मौकिफ रहा है कि औरतों का मस्जिद में नमाज़ की अदाएगी के लिए जाना मुनासिब नहीं है। मशहूर मुहद्दिस इमाम तिरमिजी ने अपनी हदीस की मशहूर किताब (तिरमिजी) में इस मौजू से मुतअल्लिक अहादीस जिक्र करने के बाद लिखा है कि शैख सुफयान सौरी और शैख अब्दुल्लाह बिन मुबारक का मौकिफ है कि औरतों का नमाज़े ईद के लिए जाना मकरूह है। यानी इब्तिदाए इस्लाम से ही यह मौकिफ सामने आ गया था कि औरतों के लिए नमाज़े ईद के लिए जाना मुनासिब नहीं है। हजरत इमाम तिरमिजी ने हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा वाली हदीस भी जिक्र फरमाई। उलमाए अहनाफ का भी यही मौकिफ है कि औरतों का नमाज़े ईद के

लिए जाना मकरूह है। हिन्द व पाक के जम्हुर उलमा जो 80 हिजरी में पैदा हुए मशहूर मुहद्दिस व फकीह हजरत इमाम अबु हनीफा की कुरान व हदीस पर मबनी राय को तरजीह देते हैं की भी यही राय है कि औरतें नमाज़े ईद के लिए न जायें। गर्जकि इब्तिदाए इस्लाम से ही मसअला मजकूर में इख्तिलाफ है और मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा की एक बड़ी जमात की हमेशा यह राय रही है कि औरतों को नमाज़े ईद के लिए न जाने में खैर व भलाई व बेहतरी है, अब जबकि फितनों का दौर है तो हमें उम्मुल मोमेनीन हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा वाला मौकिफ ही इख्तियार करना चाहिए।

मजकूरा मजमून पर एक साहब के एतिराज का जवाब

अससलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु

आप तो एतिराजात इस तरह थोपते हैं कि गोया आपको दीने इस्लाम का ठीकेदार बना दिया गया है और मैं सिर्फ और सिर्फ आप `जैस हजरात के लिए अपनी जिन्दगी वक्फ किए हुए बैठा हूं। बात समझ में आती है तो ठीक है वरना जहां आप मुतमईन हो सकते हैं रुजू करें। कुरान व हदीस की रौशनी में जो सही समझता हूं तहरीर करता हूं ख्वाह आप जैसे हजरात तसलीम करें या न करें। मुस्लिम औरतों की आम बुराईयों को किसी शख्स या मक्तबे फिक्र पर थोपना ऐसा ही है जैसा कि बाज इंसानों का दूसरें इंसनों पर जुल्म व ज्यादती करने की बिना पर पूरी इंसानियत को ही जिम्मेदार ठहरा कर सबको सूली पर लटका दिया जाये।

मौजू बहस मसअला में सिर्फ एक बात अर्ज है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की आम इजाजत दे रखी थी और जैसे हजरात नुक्ता-ए-नजर में औरतों

का ईदगाह जाए बेगैर औरतों की इसलाह मुमकिन नहीं है तो उम्मुल मोमेनीन हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने खुल्फा-ए-राशिदीन के जमाना में सहाबा-ए-कराम की मौजूदगी में यह क्यों फरमाया गया कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हयात होते तो आप सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम औरतों को मस्जिदों में जाने से रोक देते जैसा कि बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि क्या बनी इसराइल की औरतों को मस्जिदों से रोक दिया गया था? हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया हाँ, बनी इसराइल की औरतों को मस्जिदों से रोक दिया गया था। उम्मुल मोमेनीन हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा का यह फरमान खुल्फा-ए-राशिदीन के जमाना में सहाबा-ए-कराम की मौजूदगी में सामने आया और जमहूर मुहद्दिसीन यहां तक कि हजरत इमाम बुखारी और हजरत इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब (सही बुखारी व सही मुस्लिम) में जिक्र फरमाया है।

गर्जकि हदीस की तकरीबन हर मशहूर व मारूफ किताब में हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा का यह कौल मजकूर है। हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा के इस फरमान और दूसरे अहादीस नबविया की रौशनी में, नीज औरतों में आए तब्दिलियों के पेशे नजर पहली सदी हिजरी के फुकहा व उलमा व मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन की एक जमात ने बाकायदा यह फतवा जारी किया कि औरतों का नमाज़े ईद के लिए ईदगाह जाना सही नहीं है। सवाल यह है कि हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने ऐसा क्यों कहा और अगर वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के खिलाफ था तो किसी सहाबी

या ताबई ने हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा पर कोई तंकीद क्यों नहीं की। दुनिया की किसी भी किताब में हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा के इस फरमान पर कोई तरदीद किसी भी सहाबा या ताबई से मौजूद नहीं है। हजरत इमाम तिरमिजी ने अपनी मशहूर व मारूफ हदीस की किताब तिरमिजी में पहली सदी हिजरी के फुकहा व मुहद्दिसीन के अकवाल को जिक्र करके हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा का कौल भी जिक्र फरमाया। जिससे साफ जाहिर होता है कि हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा का मौकिफ वाजेह था कि अब औरतें ईदगाह न जायें, इसी लिए हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा से जिन्दगी में एक मरतबा औरतों के नमाज़े ईद के लिए ईदगाह जाने की कोई तरगीब मजकूर नहीं है।

गर्जकि आप मुझसे जवाब तलब न करें बल्कि कयामत तक आने वाले मुस्लमानों की माँ हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा और उन ताबेईन और तबेताबेईन से जवाब तलब करें जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के चंद सालों के बाद ही सहाबा-ए-कराम की मौजूदगी में औरतों को ईदगाह जाने की तरगीब देने के बजाये इस बात पर जोर दिया कि औरतें नमाज़े ईद `केलिए ईदगाह न जायें, नीज उन तमाम मुहद्दिसीन से सवाल करें कि उन्होंने हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा के कौल को अपनी हदीस की मशहूर व मारूफ किताबों में क्यों जिक्र किया तो इस पर तरदीद क्यों नहीं की। नीज हजरत इमाम तिरमिजी ने पहली सदी हिजरी के बाज फुकहा व मुहद्दिसीन के कौल को अपनी हदीस की मशहूर किताब तिरमिजी में जिक्र करके आप हजरात की तरह उन पर फतवा क्यों नहीं लगाया।

लेखक का परिचय

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर मुहद्दिस, मुक़र्रिर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में तक़रीबन 17 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ साथ बुखारी व हदीस की दूसरी किताबें भी पढ़ाईं।

डाक्टर नजीब क़ासमी ने इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिलकी, चुनांचे मिडिल स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ किया। इसी बीच 1986 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। 1989 में दारुल उलूम देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उलूम देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान पास किया। 1994 में दारुल उलूम देवबन्द से फरागत हासिल की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली से B.A (Arabic) और तरजुमे के दो कोर्स किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवार्सिटी से M.A. (Arabic) किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अरबी विभाग की जानिब से मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को "अल जवानिबुल अदबिया वल बलागिया वल जमालिया फिल हदीसिन नबवी" यानी हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर दिसम्बर 2014 में डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी भूतपूर्व सदर अरबी विभाग और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की अंतर्गत में

अरबी ज़बान में 480 पृष्ठों पर मुशतमिल अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने बहुत सी किताबें उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी जबानों में तहरीर की है। 1999 से रियाज़(सऊदी अरब) में बरसरे रोज़गार हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज तरबियती कैम्प भी मुनअक़िद कर रहे हैं। उनके मज़ामीन उर्दू अख़बारों में प्रकाशित होते रहते हैं।

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब साइट (www.najeebqasmi.com) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई है जिसकी मोबाइल ऐप (Deen-e-Islam) तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं।

हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (Hajj-e-Mabroor) भी तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है, जिन से सफर के दौरान हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा किया जा सकता है।

हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर उलमा, दीनी इदारों और मुख्तलिफ मदरसों ने दोनों Apps (दुन्या की पहली मोबाइल ऐपस) की ताईद में खुसूत तहरीर फरमा कर अवाम व खवास से दोनों Apps से फायदा उठाने की अपील की है।

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

First Islamic Mobile Apps on the world in 3 languages:
Deen-e-Islam & Hajj-e-Mabroor

AUTHOR'S BOOKS

IN URDU LANGUAGE:

حج مبرور، مختصر حج مبرور، حی علی الصلاۃ، عمرہ کا طریقہ، تحفۂ رمضان، معلومات قرآن، اصلاحی مضامین جلد ١،
اصلاحی مضامین جلد ٢، قرآن وحدیث: شریعت کے دو اہم ماخذ، سیرت النبی ﷺ کے چند پہلو،
زکوۃ وصدقات کے مسائل، فیملی مسائل، حقوق انسان اور معاملات، تاریخ کی چند اہم شخصیات، علم وذکر

IN ENGLISH LANGUAGE:

Quran & Hadith - Main Sources of Islamic Ideology
Diverse Aspects of Seerat-un-Nabi
Come to Prayer, Come to Success
Ramadan - A Gift from the Creator
Guidance Regarding Zakat & Sadaqaat
A Concise Hajj Guide
Hajj & Umrah Guide
How to perform Umrah?
Family Affairs in the Light of Quran & Hadith
Rights of People & their Dealings
Important Persons & Places in the History
An Anthology of Reformative Essays
Knowledge and Remembrance

IN HINDI LANGUAGE:

क़ुरान और हदीस - इस्लामी आइडयोलॉजी के मैन सोर्स
सीरतुन नबी के मुख्तलफि पहलू
नमाज़ के लिए आओ, सफलता के लिए आओ
रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार
ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस
हज और उमराह गाइड
मुख़्तसर हज्जे मबरूर
उमरह का तरीका
पारिवारिक मामले कुरान और हदीस की रोशनी में
लोगों के अधिकार और उनके मामलात
महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान
सुधारात्मक निबंध का एक संकलन
इल्म और जिक्र

First Islamic Mobile Apps of the world in 3 languages
(Urdu, Eng.& Hindi) in iPhone & Android by Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

DEEN-E-ISLAM HAJJ-E-MABROOR